परिशिष्ट–1.1

(संदर्भः कंडिका 1; पृष्ठ 1)

राज्य का परिचय

अ. सामान्य आँकड़ें			
क्रम सं.	विवरण		आँकड़े
1	क्षेत्रफल		94,163 वर्ग कि.मी.
2	2020 के जनगणना के अनुसार		12.23 करोड़
3	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)		1,106
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसख्या (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत = 21.90 प्रतिशत)		33.70 प्रतिशत
5	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 73.00 प्रतिशत)		61.80 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्म पर) (राष्ट्रीय औसत = 33 प्रति 1000 जन्म पर)		35
7	जन्म से जीवन प्रत्याशा (राष्ट्रीय औसत = 69.40 वर्ष)		69.10 वर्ष
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 2019–20 के चालू मूल्य पर (₹ करोड़ में)		611804
9	प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी.[24] सी.ए.जी.आर.[25] (2011–12 से 2019–20)	बिहार	10.08
		सामान्य कोटि के राज्य	10.53
10	जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर. (2011–12 से 2019–20)	बिहार	12.00
		सामान्य कोटि के राज्य	11.98
11	जनसंख्या वृद्धि (2011 से 2020)	बिहार	16.21
		सामान्य कोटि के राज्य	10.98

ब. वित्तीय आँकड़े						
क्रम सं.	विवरण		(आँकड़े प्रतिशत में)			
1	सी0ए0जी0आर0		2010–11 से 2018–19		2018–19 से 2019–20	
			सामान्य कोटि के राज्य	बिहार	सामान्य कोटि के राज्य	बिहार
	क	राजस्व प्राप्तियों का	13.65	14.53	2.08	(-) 5.74
	ख	कर राजस्व का	12.21	14.62	2.12	2.55
	ग	करेत्तर राजस्व का	11.19	19.62	23.44	(-) 10.43
	घ	कुल व्यय का	13.87	14.90	4.09	(-) 2.59
	ड	पूँजीगत व्यय का	14.64	10.91	(-)3.86	(-) 7.81
	च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	11.58	16.23	11.81	(-) 3.00
	छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	15.43	20.08	9.48	12.73
	ज	वेतन एवं मजदूरी का	10.78	8.30	9.51	2.35
	झ	पेंशन का	14.14	12.74	9.74	6.75

(स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31.07.2020)।

[24] जी.एस.डी.पी. = सकल राज्य घरेलू उत्पाद।

[25] सी.ए.जी.आर = चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर।

परिशिष्ट–2.1

(संदर्भः कंडिका 2.2; पृष्ठ 8)

राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
खंड अ प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**96,123**	**1,05,585**	**1,17,447**	**1,31,794**	**1,24,233**
(i) कर राजस्व	**25,449(26)**	**23,742(23)**	**23,137(20)**	**29,408(22)**	**30,158(24)**
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	10,603(42)	11,873(50)	8,298(36)	6,584(23)	6,121(20)
राज्य उत्पाद	3,142(12)	30(0)	(-)3.00(0)	(-)10(0)	(-) 4.00(0)
वाहन पर कर	1,081(4)	1,257(5)	1,599(7)	2,086(7)	2,713(9)
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	3,409(13)	2,982(13)	3,726(16)	4,189(14)	4,661(16)
भू–राजस्व	695(3)	971(4)	779(3)	477(2)	275(1)
माल एवं यात्री कर	6,087(24)	6,245(26)	1,645(7)	399(1)	23(0)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	6,747(29)	15,288(52)	1,5800(52)
अन्य कर	432(2)	384(2)	346(2)	395(1)	568(2)
(ii) करेत्तर राजस्व	**2,186(2)**	**2,403(2)**	**3,507(3)**	**4,131(3)**	**3,700(3)**
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	**48,923(51)**	**58,881(56)**	**65,083(55)**	**73,603(56)**	**63,406(51)**
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	**19,565(21)**	**20,559(19)**	**25,720(22)**	**24,652(19)**	**26,969(22)**
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	**19**	**23**	**22**	**1,825**	**30**
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	**96,142**	**1,05,608**	**1,17,469**	**1,33,619**	**1,24,263**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**18,383**	**21,577**	**13,169**	**18,668**	**29,145**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	17,565	20,065	11,771	16,134	27,866
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन–देन	-	-	-		-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	818	1,512	1,398	2,534	1,279
6. अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	-	-	-	-
7. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5+6)	**1,14,525**	**1,27,185**	**1,30,638**	**1,52,287**	**1,53,408**
8. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
9. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**49,106**	**61,730**	**57,107**	**68,259**	**1,94,512**
10. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (7+8+9)	**1,63,631**	**1,88,915**	**1,87,745**	**2,20,546**	**3,47,920**
खंड ब व्यय/संवितरण					
11. राजस्व व्यय	**83,616**	**94,765**	**1,02,624**	**1,24,897**	**1,26,017**
योजना	29,651(35)	33,576(35)	35,951(35)	47,365(38)	44,576(35)
स्थापना और प्रतिबद्ध	53,965(65)	61,189(65)	66,673(65)	77,532(62)	81,441(65)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	27,972(33)	30,607(32)	33,374(32)	38,691(31)	41,628(33)
सामाजिक सेवाएँ	35,943(43)	40,737(43)	45,770(45)	58,284(47)	57,816(46)
आर्थिक सेवाएँ	19,697(24)	23,417(25)	23,476(33)	27,918(22)	26,571(21)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	4	4	4	4	2

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
12. पूँजीगत व्यय	**23,966**	**27,208**	**28,907**	**21,058**	**12,304**
योजना	23,930(99)	27,192(100)	28,866(100)	20,999(100)	12,253(100)
स्थापना और प्रतिबद्ध	36(1)	16(0)	41(0)	59(0)	51(0)
सामान्य सेवाएँ	3,617(15)	2,090(8)	2,765(10)	3,311(16)	2,388(19)
सामाजिक सेवाएँ	2,740(11)	3,592(13)	4,258(15)	4,061(19)	2,803(23)
आर्थिक सेवाएँ	17,609(74)	21,526(79)	21,884(75)	13,686(65)	7,113(58)
13. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	**621**	**114**	**243**	**1,470**	**666**
14. कुल (11+12+13)	**1,08,203**	**1,22,087**	**1,31,774**	**1,47,425**	**1,38,987**
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**4,125**	**4,215**	**4,653**	**7,230**	**7,110**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	3,423	3,461	3,841	6,300	6,143
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन–देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	702	754	812	930	967
16. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-		
17. अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	-	-		
18. संचित निधि से कुल संवितरण (14+15+16+17)	**1,12,328**	**1,26,302**	**1,36,427**	**1,54,655**	**1,46,097**
19. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
20. लोक लेखा संवितरण	**45,923**	**57,268**	**46,299**	**67,135**	**1,97,747**
21. राज्य द्वारा कुल संवितरण (18+19+20)	**1,58,251**	**1,83,570**	**1,82,726**	**2,21,790**	**3,43,844**
खंड स घाटा					
22. राजस्व घाटा (–)/राजस्व आधिक्य (+) (1–11)	**12,507**	**10,820**	**14,823**	**6,897**	**(-) 1,784**
23. राजकोषीय घाटा (–)/राजकोषीय आधिक्य; (4–14)	**(-)12,061**	**(-)16,479**	**(-)14,305**	**(-)13,807**	**(-) 14,724**
24. प्रारंभिक घाटा/ प्रारंभिक आधिक्य (23+25)	**(-)4,963**	**(-)8,288**	**(-)5,251**	**(-)3,736**	**(-) 3,733**
खंड द अन्य आँकड़ें					
25. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	**7,098**	**8,191**	**9,054**	**10,071**	**10,991**
26. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	**26,426**	**36,209**	**43,359**	**51,764**	**46,582**
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)@	**3,71,602**	**4,22,051**	**4,68,746**	**5,30,363**	**6,11,804**
28. लंबित राजकोषीय देयताएँ (वर्ष के अंत में)	**1,16,578**	**1,38,722**	**1,56,777**	**1,68,921**	**1,93,382**
29. लंबित प्रत्याभूति (वर्ष के अंत में)	**4,721**	**4,460**	**5,174**	**5,398**	**5,380**
30. अधिकतम दी गई गारंटी (वर्ष के अंत में)	**9,397**	**13,053**	**20,234**	**20,834**	**20,834**
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**144**	**130**	**127**	**68**	**143**
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूँजी	**1,728**	**1,521**	**892**	**315**	**1001**
खंड ई राजकोषीय स्थिति का संकेतक					
I संसाधन संग्रहण (प्रतिशत में)					
कर राजस्व/जी.एस.डी.पी.	6.85	5.62	4.77	5.28	4.93
करेत्तर राजस्व/जी.एस.डी.पी.	0.59	0.57	0.72	0.74	0.60
केंद्रीय अंतरण/जी.एस.डी.पी.	13.17	13.94	13.43	13.20	10.36

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
II व्यय प्रबंधन (प्रतिशत में)					
कुल व्यय/जी.एस.डी.पी.	29.12	28.91	27.18	26.44	22.72
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	112.57	115.63	112.20	111.86	111.88
राजस्व व्यय/कुल व्यय	77.28	77.62	77.88	84.72	90.67
सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	33.22	33.37	34.73	39.53	41.60
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	18.20	19.18	17.82	18.94	19.12
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	22.15	22.29	21.94	14.28	8.85
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	18.81	20.57	19.84	12.04	7.13
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन (प्रतिशत में)					
राजस्व आधिक्य/जी.एस.डी.पी.	3.37	2.56	3.06	1.24	(-)0.29
राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	3.25	3.90	2.95	2.48	2.41
प्राथमिक घाटा/जी.एस.डी.पी.	1.34	1.96	1.08	0.67	0.61
राजस्व अधिशेष/राजकोषीय घाटा	103.70	65.66	103.62	49.95	12.12
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन (प्रतिशत में)					
राजकोषीय दायित्व/जी.एस.डी.पी.	31.37	32.85	32.34	30.30	31.61
राजकोषीय दायित्व/राजस्व प्राप्तियाँ	121.28	131.38	133.49	128.17	153.66
राजकोषीय दायित्व/राज्य के अपने संसाधन	421.85	530.59	588.41	503.66	563.82

कोष्ठक में दिए गए आँकड़े प्रत्येक उप–शीर्षों की कुल प्रतिशतता दर्शाते हैं।
@जी.एस.डी.पी.:– सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31.07.2020
(स्रोतः संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

परिशिष्ट–3.1

(संदर्भः कंडिका 3.3.3)

अनुपूरक प्रावधान के मामले
(प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या उससे अधिक) जो अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3-5)=(6)
राजस्व (भारित)					
1.	5. राज्यपाल सचिवालय	29.88	1.01	1.33	28.55
(अ) योग राजस्व (भारित)		**29.88**	**1.01**	**1.33**	**28.55**
राजस्व (दत्तमत)					
2.	1. कृषि विभाग	2,938.77	533.16	2,152.49	786.28
3.	2. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	953.25	172.41	789.36	163.89
4.	3. भवन निर्माण विभाग	792.96	39.41	398.48	394.48
5.	4. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	365.40	5.64	152.01	213.39
6.	9. सहकारिता विभाग	1,514.44	226.88	586.00	928.44
7.	11. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1,584.65	2.81	1,413.05	171.60
8.	12. वित्त विभाग	295.53	16.48	186.56	108.97
9.	15. पेंशन	18,443.71	77.30	17,118.98	1,324.73
10.	16. पंचायती राज विभाग	11,956.31	1,420.04	8,689.62	3,266.69
11.	18. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,347.49	7.61	702.00	645.49
12.	20. स्वास्थ्य विभाग	7,693.06	1,590.75	6,960.84	732.22
13.	21. शिक्षा विभाग	34,027.21	3,033.56	25,958.41	8,068.80
14.	22. गृह विभाग	10,466.00	560.37	8,992.73	1,473.27
15.	23. उद्योग विभाग	709.30	59.08	435.26	274.04
16.	25. सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग	154.00	27.91	106.89	47.11
17.	26. श्रम संसाधन विभाग	785.52	66.81	643.42	142.10
18.	27. विधि विभाग	990.28	6.68	768.04	222.24
19.	30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	189.10	33.62	88.63	100.47
20.	32. विधानमंडल	207.50	10.85	171.16	36.34
21.	33. सामान्य प्रशासन विभाग	720.78	31.63	526.05	194.73
22.	35. योजना एवं विकास विभाग	846.96	23.67	273.91	573.05
23.	38. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	237.41	54.39	219.30	18.11
24.	39. आपदा प्रबंधन विभाग	4,314.76	3,037.12	3,621.18	693.58
25.	40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	845.93	85.11	561.72	284.21
26.	41. पथ निर्माण विभाग	1,469.14	600.00	854.48	614.66

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3-5)=(6)
27.	42. ग्रामीण विकास विभाग	15,639.03	2,924.05	9,692.46	5,946.57
28.	43. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	200.72	61.89	172.50	28.22
29.	44. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,511.54	84.09	1,121.26	390.28
30.	46. पर्यटन विभाग	48.09	16.65	28.05	20.04
31.	47. परिवहन विभाग	443.42	10.00	267.64	175.78
32.	48. नगर विकास एवं आवास विभाग	5,148.79	1,086.25	2,984.53	2,164.26
33.	49. जल संसाधन विभाग	1,122.64	38.30	858.07	264.57
34.	50. लघु जल संसाधन विभाग	485.68	10.49	284.83	200.85
(ब) योग राजस्व (दत्तमत)		**1,28,449.37**	**15,955.01**	**97,779.91**	**30,669.46**
योग राजस्व (अ+ब)		**1,28,479.25**	**15,956.02**	**97,781.24**	**30,698.01**
पूँजीगत (भारित)					
35.	14. ऋण अदायगियाँ	7,235.93	431.60	7,109.83	126.10
(स) योग पूँजीगत (भारित)		**7,235.93**	**431.60**	**7,109.83**	**126.10**
पूँजीगत (दत्तमत)					
36.	01. कृषि विभाग	20.00	126.91	0.00	20.00
37.	03. भवन निर्माण विभाग	4,582.10	573.88	1,384.86	3,197.24
38.	09. सहकारिता विभाग	483.27	78.02	7.29	475.98
39.	12. वित्त विभाग	879.40	63.59	613.94	265.46
40.	19. पर्यावरण एवं वन विभाग	83.00	37.47	60.34	22.66
41.	20. स्वास्थ्य विभाग	1,929.70	182.08	852.20	1,077.50
42.	21. शिक्षा विभाग	771.48	392.42	125.59	645.89
43.	23. उद्योग विभाग	112.09	50.00	0.00	112.09
44.	30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	270.00	17.50	161.30	108.70
45.	35. योजना एवं विकास विभाग	1,641.99	43.48	1,098.51	543.48
46.	36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	3,124.34	45.68	1,905.18	1,219.16
47.	37. ग्रामीण कार्य विभाग	9,706.97	150.00	1,883.28	7,823.69
48.	43. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	78.00	23.50	46.71	31.29
49.	49. जल संसाधन विभाग	2,529.66	1,978.52	954.33	1,575.33
50.	50. लघु जल संसाधन विभाग	252.52	881.00	225.28	27.24
51.	51. समाज कल्याण विभाग	30.88	52.83	9.87	21.01
(द) योग पूँजीगत (दत्तमत)		**26,495.40**	**4,696.88**	**9,328.68**	**17,166.72**
महायोग (अ+ब+स+द)		**1,62,210.58**	**21,084.50**	**1,14,219.75**	**47,990,83**

(स्रोतः वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट–3.2

(संदर्भः कंडिका 3.3.4)

निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	01	3451–00–090–0007– कृषि विभाग	6.94	0.00	6.94	0.10	3.94	0.00	3.10
2.	02	2403–00–001–0001– मुख्यालय स्थापना	7.63	0.00	7.63	0.53	7.14	0.00	1.02
3.		2403–00–107–0001– चारा तथा चारागाह विकास	1.61	0.00	1.61	0.20	1.54	0.00	0.27
4.		2404–00–001–0001– मुख्यालय स्थापना	4.16	0.00	4.16	0.04	3.75	0.00	0.45
5.	03	2059–60–103–0001– बिहार विधान मंडल भवनों का साज–समान	3.50	0.00	3.50	1.75	3.47	0.00	1.78
6.		2059–80–001–0004– क्रियान्वयन	207.63	0.00	207.63	0.55	151.08	0.00	57.10
7.		4059–60–051–0104– परिसदन का निर्माण एवं संधारण	25.01	0.00	25.01	15.00	3.67	0.00	36.34
8.		4059–80–051–0004– सरकारी भवनों में परिवर्त्तन/ परिवर्त्तन संबंधी मुख्य निर्माण	6.25	0.00	6.25	0.40	5.39	0.00	1.26
9.	06	2015–00–102–0001– मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना	36.53	0.00	36.53	5.46	35.22	0.00	6.77
10.		2015–00–103–0001– विधान–सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची	70.25	0.00	70.25	11.17	65.84	0.00	15.58
11.		2015–00–106–0001– राज्य विधान–सभा निर्वाचन	2.27	18.00	20.27	0.18	9.29	0.00	11.16
12.	08	2204–00–104–0001– खेल कूद	11.42	0.00	11.42	1.32	10.76	0.00	1.98
13.	09	2425–00–003–0001– कर्मचारियों का प्रशिक्षण	0.30	0.00	0.30	0.03	0.28	0.00	0.05
14.	10	3451–00–090–0017– उर्जा विभाग	1.98	0.21	2.19	0.39	2.12	0.00	0.47
15.	11	2251–00–090–0024– पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	3.28	0.74	4.02	0.02	3.40	0.00	0.64
16.	16	2015–00–101–0001– राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज)	3.17	0.00	3.17	0.15	2.65	0.00	0.67
17.		3451–00–090–0028– पंचायती राज विभाग	2.14	0.00	2.14	0.17	1.43	0.00	0.88

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18.	18	3451–00–090–0011– खाद्य एवं उपयोक्ता संरक्षण विभाग	9.07	0.52	9.59	0.05	8.16	0.00	1.48
19.	19	2406–01–001–0001– निदेशन और प्रशासन	19.09	0.00	19.09	0.54	18.92	0.00	0.71
20.		2406–02–110–0003– अभ्यारण्य	6.05	0.70	6.75	0.01	5.10	0.00	1.66
21.	20	2210–01–001–0001– स्वास्थ्य निदेशालय	32.47	0.00	32.47	0.95	22.91	0.00	10.51
22.		2210–02–101–0001– देशी आयुर्वेदिक विज्ञान निदेशालय	38.61	10.81	49.42	0.11	31.75	0.00	17.78
23.	21	2202–01–003–0001– बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.26
24.		2202–03–102–0001– पटना विश्वविद्यालय	323.98	0.00	323.98	1.50	267.53	33.91	24.04
25.		2202–03–102–0003– बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर (बिहार विश्वविद्यालय)	661.47	0.00	661.47	20.00	623.53	0.00	57.94
26.		2202–03–102–0004– जय प्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, छपरा	290.64	9.50	300.14	20.00	238.36	64.65	17.13
27.		2202–03–102–0011– ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय	584.47	84.00	668.47	25.00	483.60	24.56	185.31
28.		2202–03–102–0012– कामेश्वर सिंह दरभंगाा संस्कृत विश्वविद्यालय	99.45	8.00	107.45	2.00	107.13	0.00	2.32
29.		2202–03–102–0016– मौलाना मजहरूल हक अरबी/पारसी विश्वविद्यालय	4.10	0.25	4.35	0.25	3.53	0.79	0.28
30.		2202–03–102–0025– पुर्णिया विश्वविद्यालय, पुर्णिया	40.00	82.00	122.00	10.00	104.59	6.01	21.40
31.		2202–03–102–0027– मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर	35.00	83.00	118.00	6.00	116.40	4.26	3.34
32.		2202–04–001–0002– जन शिक्षा निदेशालय	2.39	0.10	2.49	0.19	2.33	0.00	0.35
33.		2202–80–003–0006– जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	45.81	2.00	47.81	0.06	42.26	0.00	5.61
34.		2205–00–105–0001– सार्वजनिक पुस्तकालय	1.74	0.00	1.74	0.01	1.63	0.00	0.12
35.	22	2051–00–103–0003– बिहार पुलिस अवर सेवा अयोग	20.58	0.00	20.58	0.71	19.97	0.00	1.32
36.		2055–00–001–0003– केन्द्रीय स्तर पर सामग्रियों का क्रय	141.75	0.50	142.25	4.00	68.27	0.00	77.98

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
37.	22	2055–00–001–0008– सिपाही की नियुक्ति हेतु, केन्द्रीय चयन परिषद	22.93	0.24	23.17	10.05	20.97	0.00	12.25
38.		2055–00–104–0001– अश्वारोही सैन्य पुलिस	18.74	0.00	18.74	0.77	16.24	0.00	3.27
39.		2055–00–113–0001– चिकित्सालय व्यय	14.62	0.00	14.62	0.10	10.09	0.00	4.63
40.		2055–00–114–0001– संकेत	100.56	0.10	100.66	0.74	63.87	0.00	37.53
41.		2055–00–114–0002– कम्पयूटर	5.74	0.00	5.74	0.75	3.61	0.00	2.88
42.		2070–00–003–0008– गृह रक्षकों को प्रशिक्षण	20.00	0.00	20.00	0.20	14.25	0.00	5.95
43.	23	2851–00–102–0001– प्रदर्शन केंद्र	39.98	0.88	40.86	0.04	25.32	0.00	15.58
44.		2851–00–103–0001– हथकरघा के विकास की योजना	1.90	0.07	1.97	0.02	1.63	0.00	0.36
45.	24	2251–00–090–0014– सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	1.20	0.07	1.27	0.45	0.91	0.00	0.81
46.	25	3451–00–090–0027– सूचना प्रावैधिकी विभाग	7.00	0.00	7.00	0.09	3.74	2.15	1.20
47.	26	2230–01–114–0001– प्रवासी मजदूरों का कल्याण	0.47	0.00	0.47	0.04	0.36	0.00	0.15
48.		2230–03–003–0118– नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	40.00	6.80	46.80	5.00	38.62	0.00	13.18
49.	30	2225–04–277–0103– बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना	10.00	0.00	10.00	4.00	0.00	7.00	7.00
50.		2251–00–090–0011– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	7.28	0.00	7.28	0.56	6.76	0.00	1.08
51.	32	2011–02–101–0006– विपक्षी दल के नेता	0.98	0.00	0.98	0.07	0.86	0.00	0.19
52.		2011–02–103–0001– विधान सभा सचिवालय	43.58	5.15	48.73	0.03	43.30	0.00	5.46
53.		2011–02–103–0002– विधान परिषद् सचिवालय	44.71	5.45	50.16	0.78	45.31	0.00	5.63
54.	33	2053–00–094–0001– अनुमण्डलीय स्थापना	129.00	0.18	129.18	0.40	96.11	0.00	33.47
55.	35	2052–00–090–0010– योजना एवं विकास विभाग	18.13	0.23	18.36	0.20	12.28	0.00	6.28
56.	36	4215–01–102–0103– ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा)	21.58	45.68	67.26	10.00	61.46	0.00	15.80
57.		4215–01–102–0125– जल की गुणवत्ता की मोनेटरिंग एवं प्रयोगशाला का उन्नयन	1.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	11.00

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
58.	39	2245–02–101–0004– प्रभावित व्यक्तियों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण	1.00	0.00	1.00	4.00	0.33	0.00	4.67
59.	41	3054–03–103–0001– कार्यभारित व्यय	0.50	0.00	0.50	0.55	0.38	0.00	0.67
60.		3054–80–001–0010– बिहार लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थ न्यायधिकरण	1.47	0.00	1.47	0.02	0.99	0.00	0.50
61.	43	3451–00–090–0003– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1.77	0.20	1.97	0.11	1.78	0.00	0.30
62.	47	2052–00–090–0035– परिवहन विभाग	3.08	0.00	3.08	0.20	1.68	0.00	1.60
63.	48	2217–05–001–0104– निदेशालयों एवं इसके समतुल्य संस्थानों का आधुनिकीकरण हेतु	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
64.		2251–00–090–0005– नगर विकास एवं आवास विभाग	8.79	1.27	10.06	1.58	9.99	0.00	1.65
65.	49	2700–04–101–0001– अन्य रखरखाव व्यय	139.95	34.22	174.17	5.05	121.71	0.00	57.51
66.		4711–01–051–0111– बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना)	61.33	0.00	61.33	15.33	24.06	0.00	52.60
67.	50	2702–03–103–0007– अन्य रखरखाव व्यय	10.00	0.00	10.00	1.50	3.81	0.00	7.69
योग			**3,528.03**	**400.88**	**3,928.91**	**202.73**	**3,107.36**	**143.33**	**880.95**

(स्रोतः वर्ष 2019–20 के विस्तृत विनियोग लेखे सहित अनुदान अंकेक्षण पंजी)

परिशिष्ट–3.3

(संदर्भः कंडिका 3.3.4)

निधियों का आधिक्य पुनर्विनियोजन जहाँ अंतिम बचत ₹ 50 लाख से अधिक थे

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	03	2059–80–001–0001– निदेशन	20.13	2.24	20.41	0.00	1.96
2.	06	2015–00–105–0005– निर्वाचन में प्रतिनियुक्त अर्द्धसैनिक बलों पर व्यय	70.60	40.56	71.27	0.00	39.89
3.		2015–00–108–0001– मतदाताओं को पहचान–पत्र निर्गत करने पर व्यय	5.02	3.25	5.60	0.00	2.67
4.	13	2049–04–112–0001– बाह्य संधारणीय योजनाओं पर लिए गए कर्ज पर ब्याज	306.89	15.00	307.60	0.00	14.27
5.	19	2406–01–105–0105– प्लांट टिशु कल्चर लैब	0.00	3.68	3.13	0.00	0.55
6.	21	2202–01–796–0211– समग्र शिक्षा–प्राथमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	9.19	53.96	57.27	0.00	5.88
7.		2202–03–102–0024– पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना	420.25	50.00	448.55	0.00	21.70
8.		2202–80–001–0002– राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय	1.30	0.58	1.34	0.00	0.54
9.	22	2055–00–001–0001– अधीक्षण	63.48	13.31	69.67	0.00	7.12
10.		2055–00–003–0006– बिहार पुलिस एकेडमी	16.40	3.67	17.03	0.00	3.04
11.		2070–00–107–0003– गृह रक्षा वाहिनी संबंधी कल्याण कार्यक्रम	12.00	28.00	38.62	0.00	1.38
12.	27	2235–60–200–0013– बिहार पीड़ित प्रतिकार स्कीम	5.00	5.00	7.63	0.00	2.37
13.	39	2235–01–200–0003– शीत लहर से बचाव के उपाय	0.50	0.75	0.69	0.00	0.56
14.		2245–02–101–0001–निःसहायों एवं विकलांगों को नगद भुगतान	631.53	369.00	990.86	0.00	9.67
15.		2245–02–101–0002–खाद्यान्न की आपूर्त्ति	811.53	369.00	1,013.76	0.00	166.77
16.		2245–02–113–0001– बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति/पुनर्स्थापन	4.00	50.00	7.88	0.00	46.12
योग			**2,377.82**	**1,008.00**	**3,061.31**	**0.00**	**324.49**

(स्रोतः 2019–20 का विस्तृत विनियोग लेखे एवं अनुदान अंकेक्षण पंजी)

परिशिष्ट–3.4

(संदर्भः कंडिका 3.3.4)

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पर पुर्नविनियोजन के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	विभाग का पत्र संख्या और दिनांक		वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति की पत्र संख्या और दिनांक		राशि
		पत्र सं0	दिनांक	पत्र सं0	दिनांक	
1.	01. कृषि विभाग	1184	20.03.2020	435	31.03.2020	0.28
2.	02. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	1091	24.03.2020	453	31.03.2020	0.70
3.		1094	24.03.2020	456	31.03.2020	0.13
4.		1095	24.03.2020	457	31.03.2020	0.08
5.		1096	24.03.2020	458	31.03.2020	0.58
6.		1097	24.03.2020	459	31.03.2020	0.32
7.		1098	24.03.2020	460	31.03.2020	0.01
8.		1099	24.03.2020	461	31.03.2020	0.15
9.		1100	24.03.2020	462	31.03.2020	0.07
10.		1101	24.03.2020	463	31.03.2020	0.10
11.		1102	24.03.2020	464	31.03.2020	0.13
12.	03. भवन निर्माण विभाग	2542	30.03.2020	477	31.03.2020	15.00
13.		2276	16.03.2020	476	31.03.2020	0.40
14.	04. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	27	09.03.2020	498	31.03.2020	0.02
15.	06. निर्वाचन विभाग	1002	24.03.2020	499	31.03.2020	1.77
16.		1003	24.03.2020	500	31.03.2020	0.03
17.		1004	24.03.2020	501	31.03.2020	11.17
18.		1005	24.03.2020	502	31.03.2020	10.53
19.		1006	24.03.2020	503	31.03.2020	3.26
20.		1007	24.03.2020	504	31.03.2020	0.18
21.		1008	24.03.2020	505	31.03.2020	3.25
22.	08. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	717	19.03.2020	465	31.03.2020	0.05
23.		718	19.03.2020	466	31.03.2020	0.02
24.		719	19.03.2020	467	31.03.2020	0.22
25.		716	19.03.2020	468	31.03.2020	0.75
26.	09. सहकारिता विभाग	2883	28.03.2020	452	31.03.2020	0.98
27.		2879	28.03.2020	448	31.03.2020	1.09
28.		2882	28.03.2020	451	31.03.2020	0.14
29.		2881	28.03.2020	450	31.03.2020	0.03
30.		2880	28.03.2020	449	31.03.2020	0.68
31.	19. पर्यावरण एवं वन विभाग	977	05.03.2020	446	31.03.2020	0.91
32.	20. स्वास्थ्य विभाग	354(1)	13.03.2020	479	31.03.2020	1.16
33.		424(1)	23.03.2020	480	31.03.2020	10.23
34.		355(1)	13.03.2020	481	31.03.2020	0.80

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	विभाग का पत्र संख्या और दिनांक		वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति की पत्र संख्या और दिनांक		राशि
		पत्र सं0	दिनांक	पत्र सं0	दिनांक	
35.	20. स्वास्थ्य विभाग	419(1)	23.03.2020	491	31.03.2020	4.98
36.		360(1)	13.03.2020	492	31.03.2020	0.15
37.		418(1)	23.03.2020	493	31.03.2020	2.50
38.		435	30.03.2020	445	31.03.2020	0.11
39.		359	13.03.2020	497	31.03.2020	1.25
40.		420	23.03.2020	482	31.03.2020	1.18
41.		421	23.03.2020	483	31.03.2020	1.20
42.		357	13.03.2020	484	31.03.2020	2.02
43.		423	23.03.2020	485	31.03.2020	4.84
44.		399	20.03.2020	486	31.03.2020	5.53
45.		361	13.03.2020	488	31.03.2020	0.15
46.		353	13.03.2020	489	31.03.2020	2.30
47.		358	13.03.2020	490	31.03.2020	1.02
48.	25. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	261	25.02.2020	474	31.03.2020	0.09
49.	26. श्रम संसाधन विभाग	318	27.03.2020	444	31.03.2020	0.21
50.	32. विधानमंडल	1292	31.03.2020	494	31.03.2020	0.09
51.	33. साामान्य प्रशासन विभाग	4168	31.03.2020	469	31.03.2020	0.02
52.		4166	31.03.2020	471	31.03.2020	0.01
53.	43. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1067	18.03.2020	472	31.03.2020	0.11
54.	49. जल संसाधन विभाग	294	20.03.2020	443	31.03.2020	0.07
55.		293	20.03.2020	442	31.03.2020	0.16
56.		292	20.03.2020	441	31.03.2020	0.42
57.		291	20.03.2020	440	31.03.2020	4.00
58.		290	20.03.2020	439	31.03.2020	4.00
59.		289	20.03.2020	438	31.03.2020	5.05
	योग					**106.67**

(स्रोतः वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट–3.5

(संदर्भः कंडिका 3.3.5)

मूल प्रावधान मे से ₹ 100 करोड़ एवं अधिक बचत वाले अनुदान/विनियोग

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान/ विनियोग संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशत	प्रावधान के विरूद्ध प्रतिशत व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(अ)	राजस्व (दत्तमत)							
1.	01– कृषि विभाग	2,938.77	533.16	3,471.93	2,152.49	1,319.44	38.00	62.00
2.	02– पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	953.25	172.41	1,125.66	789.36	336.30	29.88	70.12
3.	03– भवन निर्माण विभाग	792.96	39.41	832.37	398.48	433.89	52.13	47.87
4.	04– मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	365.40	5.64	371.04	152.01	219.03	59.03	40.97
5.	06– निर्वाचन विभाग	536.51	398.28	934.79	610.85	323.94	34.65	65.35
6.	09– सहकारिता विभाग	1,514.44	226.88	1,741.32	586.00	1,155.32	66.35	33.65
7.	11– पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1,584.65	2.81	1,587.46	1,413.05	174.41	10.99	89.01
8.	12– वित्त विभाग	295.53	16.48	312.01	186.56	125.45	40.21	59.79
9.	15– पेंशन	18,443.71	77.30	18,521.01	17,118.98	1,402.03	7.57	92.43
10.	16– पंचायती राज विभाग	11,956.31	1,420.04	13,376.35	8,689.62	4,686.73	35.04	64.96
11.	18– खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,347.49	7.61	1,355.10	702.00	653.10	48.20	51.80
12.	19– पर्यावरण एवं वन विभाग	418.77	413.30	832.07	623.40	208.67	25.08	74.92
13.	20– स्वास्थ्य विभाग	7,693.06	1,590.75	9,283.81	6,960.84	2,322.97	25.02	74.98
14.	21– शिक्षा विभाग	34,027.21	3,033.56	37,060.77	25,958.41	11,102.36	29.96	70.04
15.	22– गृह विभाग	10,466.00	560.37	11,026.37	8,992.73	2,033.64	18.44	81.56
16.	23– उद्योग विभाग	709.30	59.08	768.38	435.26	333.12	43.35	56.65
17.	26– श्रम संसाधन विभाग	785.52	66.81	852.33	643.42	208.91	24.51	75.49
18.	27– विधि विभाग	990.28	6.68	996.96	768.04	228.92	22.96	77.04
19.	30– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	189.10	33.62	222.72	88.63	134.09	60.21	39.79

क्रम सं0	अनुदान/ विनियोग संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशत	प्रावधान के विरूद्ध प्रतिशत व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20.	33– सामान्य प्रशासन विभाग	720.78	31.63	752.41	526.05	226.36	30.08	69.92
21.	35– योजना एवं विकास विभाग	846.96	23.67	870.63	273.91	596.72	68.54	31.46
22.	36– लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	559.84	0.00	559.84	437.11	122.73	21.92	78.08
23.	37– ग्रामीण कार्य विभाग	1,211.00	1,000.00	2,211.00	1,665.74	545.26	24.66	75.34
24.	39– आपदा प्रबंधन विभाग	4,314.76	3,037.12	7,351.88	3,621.18	3,730.70	50.74	49.26
25.	40– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	845.93	85.11	931.04	561.72	369.32	39.67	60.33
26.	41– पथ निर्माण विभाग	1,469.14	600.00	2,069.14	854.48	1,214.66	58.70	41.30
27.	42– ग्रामीण विकास विभाग	15,639.03	2,924.05	18,563.08	9,692.46	8,870.62	47.79	52.21
28.	44– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,511.54	84.09	1,595.63	1,121.26	474.37	29.73	70.27
29.	47– परिवहन विभाग	443.42	10.00	453.42	267.64	185.78	40.97	59.03
30.	48– नगर विकास एवं आवास विभाग	5,148.79	1,086.25	6,235.04	2,984.53	3,250.51	52.13	47.87
31.	49– जल संसाधन विभाग	1,122.64	38.30	1,160.94	858.07	302.87	26.09	73.91
32.	50– लघु जल संसाधन विभाग	485.68	10.49	496.17	284.83	211.34	42.59	57.41
33.	51– समाज कल्याण विभाग	7,006.85	2,624.77	9,631.62	7,366.22	2,265.40	23.52	76.48
	योग राजस्व	**1,37,334.62**	**20,219.67**	**1,57,554.29**	**1,07,785.33**	**49,768.96**	**31.59**	**68.41**
(ब) पूँजीगत (भारित)								
34.	14– ऋण अदायगियाँ	7,235.93	431.60	7,667.53	7,109.83	557.70	7.27	92.73
(स) पूँजीगत (दत्तमत)								
35.	01– कृषि विभाग	20.00	126.91	146.91	0.00	146.91	100.00	0.00
36.	03– भवन निर्माण विभाग	4,582.10	573.88	5,155.98	1,384.86	3,771.12	73.14	26.86
37.	09– सहकारिता विभाग	483.27	78.02	561.29	7.29	554.00	98.70	1.30

क्रम सं0	अनुदान/ विनियोग संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशत	प्रावधान के विरूद्ध प्रतिशत व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38.	10– उर्जा विभाग	4,573.13	0.00	4,573.13	3,118.89	1,454.24	31.80	68.20
39.	12– वित्त विभाग	879.40	63.59	942.99	613.94	329.05	34.89	65.11
40.	16– पंचायती राज विभाग	250.00	0.00	250.00	45.13	204.87	81.95	18.05
41.	20– स्वास्थ्य विभाग	1,929.70	182.08	2,111.78	852.20	1,259.58	59.65	40.35
42.	21– शिक्षा विभाग	771.48	392.42	1,163.90	125.59	1,038.31	89.21	10.79
43.	23– उद्योग विभाग	112.09	50.00	162.09	0.00	162.09	100.00	0.00
44.	30– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	270.00	17.50	287.50	161.30	126.20	43.90	56.10
45.	35– योजना एवं विकास विभाग	1,641.99	43.48	1,685.47	1,098.51	586.96	34.82	65.18
46.	36– लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	3,124.34	45.68	3,170.02	1,905.18	1,264.84	39.90	60.10
47.	37– ग्रामीण कार्य विभाग	9,706.97	150.00	9,856.97	1,883.28	7,973.69	80.89	19.11
48.	41– पथ निर्माण विभाग	5,536.42	0.00	5,536.42	1,921.59	3,614.83	65.29	34.71
49.	46– पर्यटन विभाग	250.00	0.00	250.00	23.03	226.97	90.79	9.21
50.	49– जल संसाधन विभाग	2,529.66	1,978.52	4,508.18	954.33	3,553.85	78.83	21.17
51.	50– लघु जल संसाधन विभाग	252.52	881.00	1,133.52	225.28	908.24	80.13	19.87
पूँजीगत योग		**44,149.00**	**5,014.68**	**49,163.68**	**21,430.23**	**27,733.45**	**56.41**	**43.59**
महायोग		**1,81,483.62**	**25,234.35**	**2,06,717.97**	**1,29,215.56**	**77,502.41**	**37.49**	**62.51**

(स्रोतः वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट–3.6

(संदर्भः कंडिका 3.3.5)

कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत एवं अधिक बचत प्रदर्शित करने वाले अनुदान/विनियोग

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान/विनियोग संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	उपयोग की प्रतिशतता	बचत	बचत की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	01– कृषि विभाग	2,958.77	660.07	3,618.84	2,152.49	59.48	1,466.35	40.52
2.	02– पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	953.25	172.41	1,125.66	789.36	70.12	336.30	29.88
3.	03– भवन निर्माण विभाग	5,375.06	613.29	5,988.35	1,783.34	29.78	4,205.01	70.22
4.	04– मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	491.81	127.08	618.89	304.45	49.19	314.44	50.81
5.	05– राज्यपाल सचिवालय	29.88	1.01	30.89	1.33	4.31	29.56	95.69
6.	06– निर्वाचन विभाग	536.51	398.28	934.79	610.85	65.35	323.94	34.65
7.	07– निगरानी विभाग	44.70	0.19	44.89	31.32	69.77	13.57	30.23
8.	08– कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	155.19	0.46	155.65	94.89	60.96	60.76	39.04
9.	09– सहकारिता विभाग	1,997.71	304.90	2,302.61	593.29	25.77	1,709.32	74.23
10.	12– वित्त विभाग	2,049.96	80.07	2,130.03	1,645.52	77.25	484.51	22.75
11.	16– पंचायती राज विभाग	12,206.31	1,420.04	13,626.35	8,734.75	64.10	4,891.60	35.90
12.	17– वाणिज्य–कर विभाग	161.83	0.51	162.34	120.92	74.49	41.42	25.51
13.	18– खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,397.80	7.61	1,405.41	706.24	50.25	699.17	49.75
14.	19– पर्यावरण एवं वन विभाग	501.77	450.77	952.54	683.74	71.78	268.80	28.22
15.	20– स्वास्थ्य विभाग	9,622.76	1,772.83	11,395.59	7,813.04	68.56	3,582.55	31.44
16.	21– शिक्षा विभाग	34,798.69	3,425.98	38,224.67	26,084.00	68.24	12,140.67	31.76
17.	23– उद्योग विभाग	821.39	109.08	930.47	435.26	46.78	495.21	53.22
18.	24– सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	238.32	0.07	238.39	181.80	76.26	56.59	23.74
19.	25– सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	269.00	79.58	348.58	263.55	75.61	85.03	24.39
20.	26– श्रम संसाधन विभाग	797.52	66.81	864.33	643.42	74.44	220.91	25.56
21.	27– विधि विभाग	990.28	6.68	996.96	768.04	77.04	228.92	22.96
22.	29– खान एवं भूतत्व विभाग	51.88	0.00	51.88	30.19	58.19	21.69	41.81
23.	30– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	459.10	51.12	510.22	249.93	48.98	260.29	51.02
24.	32– विधानमंडल	208.66	10.85	219.51	174.62	79.55	44.89	20.45
25.	33– साामान्य प्रशासन विभाग	727.91	32.08	759.99	532.83	70.11	227.16	29.89
26.	35– योजना एवं विकास विभाग	2,488.95	67.15	2,556.10	1,372.42	53.69	1,183.68	46.31

क्रम सं0	अनुदान/विनियोग संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	उपयोग की प्रतिशतता	बचत	बचत की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
27.	36– लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	3,684.18	45.68	3,729.86	2,342.29	62.80	1,387.57	37.20
28.	37– ग्रामीण कार्य विभाग	10,917.97	1,150.00	12,067.97	3,549.02	29.41	8,518.95	70.59
29.	38– निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	237.41	54.39	291.80	219.30	75.15	72.50	24.85
30.	39– आपदा प्रबंधन विभाग	4,320.56	3,037.12	7,357.68	3,621.18	49.22	3,736.50	50.78
31.	40– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	886.80	85.11	971.91	561.72	57.80	410.19	42.20
32.	41– पथ निर्माण विभाग	7,005.56	600.00	7,605.56	2,776.07	36.50	4,829.49	63.50
33.	42– ग्रामीण विकास विभाग	15,669.04	2,924.05	18,593.09	9,692.46	52.13	8,900.63	47.87
34.	43– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	278.72	85.39	364.11	219.21	60.20	144.90	39.80
35.	44– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,515.54	84.09	1,599.63	1,121.26	70.09	478.37	29.91
36.	45– गन्ना उद्योग विभाग	217.52	0.72	218.24	143.01	65.53	75.23	34.47
37.	46– पर्यटन विभाग	298.09	16.65	314.74	51.08	16.23	263.66	83.77
38.	47– परिवहन विभाग	457.42	10.00	467.42	267.64	57.26	199.78	42.74
39.	48– नगर विकास एवं आवास विभाग	5,158.79	1,236.25	6,395.04	3,144.53	49.17	3,250.51	50.83
40.	49– जल संसाधन विभाग	3,652.30	2,016.82	5,669.12	1,812.40	31.97	3,856.72	68.03
41.	50– लघु जल संसाधन विभाग	738.20	891.49	1,629.69	510.11	31.30	1,119.58	68.70
42.	51– समाज कल्याण विभाग	7,037.73	2,677.60	9,715.33	7,376.09	75.92	2,339.24	24.08
योग		**1,42,410.84**	**24,774.28**	**1,67,185.12**	**94,208.96**	**56.41**	**72,976.16**	**43.65**

(स्रोतः वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट–3.7

(संदर्भः कंडिका 3.3.5)

2015–16 से 2019–20 के दौरान लगातार बचत (100 करोड़ और अधिक) को प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान सं0 तथा नाम	बचत की राशि (कुल अनुदान का प्रतिशत कोष्ठक में)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
राजस्व (दत्तमत)						
		राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
1.	01. कृषि विभाग	1,652.10 *(48.66)*	1,214.66 *(42.22)*	1,150.72 *(41.01)*	1,436.00 *(44.06)*	1,319.44 *(38.00)*
2.	02. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	188.32 *(31.37)*	133.55 *(22.25)*	148.73 *(19.90)*	248.04 *(26.51)*	336.30 *(29.88)*
3.	03. भवन निर्माण विभाग	107.29 *(18.92)*	187.74 *(29.91)*	102.59 *(16.63)*	192.56 *(24.81)*	433.89 *(52.13)*
4.	09. सहकारिता विभाग	307.01 *(34.28)*	117.61 *(21.62)*	138.21 *(14.67)*	843.17 *(46.26)*	1,155.32 *(66.35)*
5.	11. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	523.79 (16.87)	921.82 (38.86)	285.23 (19.11)	342.72 (22.04)	174.41 *(10.99)*
6.	12. वित्त विभाग	116.02 *(45.17)*	100.83 *(38.82)*	119.66 *(44.64)*	104.75 *(34.86)*	125.45 *(40.21)*
7.	15. पेंशन	1,347.30 *(10.22)*	3,770.68 *(23.17)*	5,570.01 *(28.04)*	650.32 *(3.90)*	1,402.03 *(7.57)*
8.	16. पंचायती राज विभाग	2,572.10 *(47.06)*	919.67 *(12.45)*	607.76 *(6.64)*	1,836.67 *(17.93)*	4,686.73 *(35.04)*
9.	18. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	976.24 *(40.67)*	1,097.53 *(50.74)*	1,208.16 *(49.93)*	255.11 *(18.68)*	653.10 *(48.20)*
10.	20. स्वास्थ्य विभाग	964.06 *(21.44)*	3,350.96 *(41.37)*	1,427.99 *(19.99)*	1,877.89 *(22.84)*	2,322.97 *(25.02)*
11.	21. शिक्षा विभाग	5,813.90 *(23.77)*	3,837.45 *(16.77)*	7,703.21 *(24.50)*	9,957.93 *(26.96)*	11,102.36 *(29.96)*
12.	22. गृह विभाग	622.85 *(10.09)*	970.47 *(13.55)*	866.99 *(11.77)*	724.29 *(8.10)*	2,033.64 *(18.44)*
13.	26. श्रम संसाधन विभाग	303.96 *(55.50)*	273.01 *(39.50)*	102.51 *(22.49)*	175.23 *(24.13)*	208.91 *(24.51)*
14.	27. विधि विभाग	146.64 *(22.14)*	289.30 *(34.98)*	204.74 *(25.14)*	153.84 *(16.66)*	228.92 *(22.96)*
15.	33. सामान्य प्रशासन विभाग	181.49 (33.32)	169.23 (25.13)	166.51 (30.27)	221.94 (30.75)	226.36 *(30.08)*
16.	35. योजना एवं विकास विभाग	135.04 *(50.24)*	1,291.09 *(55.48)*	1,030.36 *(74.05)*	156.02 *(25.78)*	596.72 *(68.54)*
17.	37. ग्रामीण कार्य विभाग	422.07 *(29.96)*	432.17 *(27.33)*	228.19 *(14.39)*	198.87 *(16.53)*	545.26 *(24.66)*
18.	39. आपदा प्रबंधन विभाग	2,406.75 *(85.92)*	1,210.03 *(67.09)*	1,362.71 *(34.39)*	3,176.72 *(65.92)*	3,730.70 *(50.74)*
19.	40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	238.37 *(32.74)*	363.65 *(44.40)*	306.85 *(35.34)*	238.51 *(30.14)*	369.32 *(39.67)*

क्रम सं0	अनुदान सं0 तथा नाम	बचत की राशि (कुल अनुदान का प्रतिशत कोष्ठक में)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.	41. पथ निर्माण विभाग	117.63 *(11.39)*	222.55 *(17.66)*	476.18 *(35.81)*	487.94 *(34.41)*	1,214.66 *(58.70)*
21.	42. ग्रामीण विकास विभाग	3,554.04 *(50.18)*	4,468.35 *(43.48)*	5,166.39 *(49.82)*	6,175.24 *(32.58)*	8,870.62 *(47.79)*
22.	44. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	361.50 *(18.85)*	497.99 *(30.35)*	390.28 *(27.75)*	441.72 *(30.16)*	474.37 *(29.73)*
23.	48. नगर विकास एवं आवास विभाग	1,133.68 *(36.44)*	1,244.82 *(26.93)*	1,811.89 *(35.89)*	2,064.28 *(38.50)*	3,250.51 *(52.13)*
24.	51. समाज कल्याण विभाग	1,502.39 *(22.11)*	1,798.95 *(27.08)*	2,142.20 *(26.02)*	3,243.44 *(33.97)*	2,265.40 *(23.52)*
योग		**25,694.54** ***(27.96)***	**28,884.11** ***(27.66)***	**32,718.07** ***(27.20)***	**35,203.20** ***(25.59)***	**47,727.39** ***(31.45)***
पूँजीगत (दत्तमत)						
25.	03. भवन निर्माण विभाग	1,347.14 *(45.12)*	1,537.81 *(53.43)*	2,348.80 *(52.93)*	1,018.64 *(27.76)*	3,771.12 *(73.14)*
26.	10. उर्जा विभाग	1,207.86 *(29.16)*	5,330.74 *(47.83)*	130.74 *(1.79)*	623.36 *(10.72)*	*1,454.24* *(31.80)*
27.	20. स्वास्थ्य विभाग	579.60 *(34.94)*	261.23 *(23.32)*	619.16 *(52.87)*	481.38 *(29.80)*	1,259.58 *(59.65)*
28.	41. पथ निर्माण विभाग	599.98 *(11.91)*	442.80 *(7.65)*	372.09 *(6.26)*	192.24 *(3.34)*	3,614.83 *(65.29)*
29.	49. जल संसाधन विभाग	251.54 *(14.48)*	511.32 *(23.38)*	1,405.44 *(35.54)*	179.43 *(5.89)*	3,553.85 *(78.83)*
योग		**3,986.12** ***(25.61)***	**8,083.90** ***(34.97)***	**4,876.23** ***(21.40)***	**2,495.05** ***(12.54)***	**13,653.62** ***(62.39)***
महायोग		**29,680.66** ***(27.62)***	**36,968.01** ***(28.99)***	**37,594.30** ***(26.28)***	**37,698.25** ***(23.94)***	**61,381.01** ***(35.35)***

(स्रोतः वर्ष 2015–16 से 2019–20 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट–3.8

(संदर्भः कंडिका 3.4)

निधियों का शत् प्रतिशत अनुपयोग (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	अनुपयोगित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	01	2435–60–101–0101– कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	14.55
2.		4401–00–051–0101– कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	16.60
3.		6401–00–190–0002– बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को ऋण	126.91
4.	02	2403–00–106–0212– राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	11.21
5.		2403–00–106–0213– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	11.06
6.	03	4059–80–051–0116– राज्यपाल गृह भवन का निर्माण	11.80
7.		4225–04–051–0103– अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय	12.00
8.		4406–01–051–0101– वानिकी कॉलेज	40.00
9.		4408–02–101–0102– खाद्यान्न भंडार गोदामों का निर्माण (नाबार्ड सम्पोषित)	34.66
10.	04	2070–00–001–0107– बिहार विकास मिशन	150.00
11.	09	2425–00–107–0106– अधिप्राप्ति कार्य हेतु प्रबंधकीय अनुदान	50.00
12.		2425–00–108–0415– एकीकृत सहकारी विकास योजना	22.58
13.		2425–00–108–0419– प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सों) में कृषि संयत्र बैंक की स्थापना	423.15
14.		4425–00–051–0203– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0)(ए0सी0ए0)	63.02
15.		4425–00–108–0465– एकीकृत सहकारी विकास योजना	20.11
16.		6425–00–108–0419– प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सों) में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना	423.15
17.	10	4801–05–190–0208– पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) (राज्य घटक (एन0बी0पी0डी0सी0एल0 के लिए)	138.00
18.		4801–05–190–0209– पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) (राज्य घटक (एस0बी0पी0डी0सी0एल0 के लिए)	623.33
19.		4801–05–190–0210– पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) (राज्य घटक (बी0एस0पी0टी0सी0एल0 के लिए)	630.00
20.	11	2225–03–277–0215– पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	92.90
21.	12	2054–00–098–0001– स्थानीय निधि अंकेक्षण	32.27
22.		4058–00–103–0101– मशीनरी और उपस्कर–सरकारी प्रेस गुलजारबाग के आधुनिकीरण की योजना	12.00
23.		5475–00–800–0101– क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निवेश के लिए राज्य सरकार की शेयर पूंजी में योगदान	63.59
24.	13	2049–03–117–0001– सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज	10.00
25.	15	2071–01–106–0001– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 290 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को देय अंशदान–प्रभृत	12.08
26.		2071–01–197–0001– शिक्षकों को रिटायर्ड पेंशन बेनिफिट स्कीम के अन्तर्गत अंशदान	33.39
27.		2071–01–198–0001– शिक्षकों को रिटायर्ड पेंशन बेनिफिट स्कीम के अन्तर्गत अंशदान	38.01

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	अनुपयोगित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
28.	16	2515–00–789–0513– पंचायती राज व्यवस्था और मानव संसाधन विकास (ई0ए0पी0)	15.00
29.		2515–00–789–0214– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर0जी0एस0ए0)	12.06
30.		2515–00–198–0215– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर0जी0एस0ए0)	62.75
31.	18	2408–01–101–0405– एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यानों के अंत राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन	417.54
32.		5475–00–051–0103– जिला आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन केन्द्र की स्थापना के निमित भवन निर्माण	38.48
33.	19	3435–04–101–0001– प्रदूषण नियंत्रण	10.00
34.	20	2210–01–110–0016– मानसिक आरोग्यशाला	15.00
35.		2235–60–110–0204– राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगहित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (स्वाथ्य विभाग)	45.00
36.		2235–60–110–0205– आयुष्मान भारत–राष्ट्रीय स्वाथ्य सुरक्षा मिशन (ए0बी0–एन0एच0पी0एम0)	260.00
37.		4210–01–051–0104– शहरी क्षेत्र में राजकीय औषधालय का निर्माण	25.00
38.		4210–01–110–0110– इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना	71.00
39.		4210–01–110–0117– मानसिक आरोग्यशाला कोईलवर अस्पताल भवनों का निर्माण	35.00
40.		4210–03–105–0119– बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज (सी0ई0आर0टी0ए0आई0एन0)	40.00
41.	21	4202–01–203–0105– केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए भूमि	29.52
42.		4202–01–789–0101– राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण	41.60
43.		2202–02–004–0102– दक्षता	10.00
44.	22	2055–00–115–0303– पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम	50.00
45.	23	2851–00–102–0107– मुख्यमंत्री अति पिछड़ा जाति उद्यमी योजना	52.50
46.		2851–00–789–0110– मुख्यमंत्री अनूसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति उद्यमी योजना	56.00
47.		2852–80–102–0135– इन्टरप्रेनिर्योस डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना	20.90
48.		2852–80–102–0150– सेन्ट्रल इन्स्टिच्यूट प्लासिक इन्जिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी की स्थापना	15.05
49.		5465–01–190–0108– बिहार राज्य वित्तीय निगम लिमिटेड	15.00
50.		5465–01–190–0109– बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	15.00
51.		5465–01–190–0110– बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	15.00
52.		6851–00–102–0101– मुख्यमंत्री अति पिछड़ा जाति उद्यमी योजना	50.00
53.		6851–00–789–0101– मुख्यमंत्री अनूसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	57.60
54.	26	4250–00–050–0101– औद्योगिक प्रशिक्षण संरथान भू–अर्जन हेतु	12.00
55.	27	2014–00–105–0007– अतिरिक्त न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा)	17.50
56.	30	4225–04–051–0102– बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना	30.00
57.	35	2235–01–202–0505– आपातकालीन कोसी बाढ़ पुर्नवास परियोजना (विश्व बैंक संपोषित)	89.17
58.		2235–01–789–0501– आपातकालीन कोसी बाढ़ पुर्नवास परियोजना (विश्व बैंक संपोषित)	56.53
59.		3454–02–789–0101– समग्र सांख्यिकी विकास योजना	26.08
60.	37	4515–00–103–0113– मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना	133.46
61.		4515–00–103–0316– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	1,200.00

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	अनुपयोगित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
62.	39	2245–02–112–0104– संचार उपकरणों का क्रय	12.00
63.	40	2029–00–103–0206– राष्ट्रीय भू–अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (एन0एल0आर0एम0पी0)	87.72
64.		4047–00–789–0106– गृह विहीन परिवारों के लिए रैयती भूमि का क्रय	38.04
65.	41	3054–80–797–0101– केन्द्रीय सड़क निधि से अन्तरण	400.00
66.	42	2203–00–112–0106– डेवलपमेंट मैंनेजमेंट इन्स्टीच्यूट	57.99
67.		2215–02–105–0103– लोहिया स्वच्छता योजना	200.00
68.		2216–03–102–0101– मुख्यमंत्री वास स्थान क्रय सहायता योजना	15.00
69.		2216–03–789–0104– मुख्यमंत्री वास स्थान क्रय सहायता योजना	25.00
70.		2216–03–796–0103– मुख्यमंत्री वास स्थान क्रय सहायता योजना	10.00
71.		2220–60–101–0101– जल जीवन हरियाली	10.00
72.		2505–02–101–0301– महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	449.98
73.		3454–02–206–0102–विशिष्ट पहचान योजना (यू0आई0डी0)	10.00
74.		4515–00–103–0102– प्रखण्ड लघु निर्माण कार्य	30.00
75.	44	2225–01–102–0216– प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी0एम0ए0जी0वाई0)	65.14
76.		2225–01–277–0219– पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	60.00
77.		2225–02–102–0201– अनुसूचित जन जातियों का बहुमुखी विकास–संविधान के धारा 275 (1) के तहत भारत सरकार से प्राप्त	18.00
78.		2225–02–102–0202– अनूसूचित जन जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	18.00
79.		2225–02–796–0125– थरूहट क्षेत्र का विकास	27.61
80.	45	2852–08–789–0101– आर्थिक सहायता	25.60
81.	48	2215–01–191–0106– जल जीवन हरियाली	10.00
82.		2217–03–051–0204– स्मार्ट सिटी मिशन योजना	420.00
83.		2217–03–051–0302– शहर पुर्ननवीनीकरण मिशन–अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्त्तन मिशन (अमरूत)	130.00
84.		2217–03–191–0113– भू–अर्जन	50.00
85.		2217–03–796–0101– परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायो को सहायता अनुदान	10.30
86.	49	4700–80–051–0310– उत्तर कोयल जलाशय परियोजना (नबार्ड एल0टी0आई0एफ0)	251.86
87.	51	2235–02–101–0223– दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीम (एस0आई0पी0डी0ए0)	18.00
		योग	**8,606.35**

(स्रोतः वर्ष 2019–20 के विस्तृत विनियोग लेखे)

परिशिष्ट–3.9

(संदर्भः कंडिका 3.4.4)

मार्च 2020 में सघन व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	वर्ष 2019–20 के दौरान कुल व्यय	माह जनवरी से मार्च 2020 के दौरान हुआ व्यय	व्यय के सापेक्ष में कुल व्यय का प्रतिशत	
								जनवरी – मार्च 2020	मार्च 2020
(1)	(2)					(3)	(5)		(6)
1.	03– भवन निर्माण विभाग	141.21	277.41	264.54	1,101.64	1,784.80	828.41	61.72	46.41
2.	11– पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1.71	17.27	337.93	1,059.89	1,416.80	1,051.51	74.81	74.22
3.	18– खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	10.01	236.84	26.23	433.15	706.23	422.50	61.33	59.82
4.	23– उद्योग विभाग	14.99	42.59	64.46	313.22	435.26	286.57	71.96	65.84
5.	25– सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	0.70	24.30	112.33	122.07	259.40	80.35	47.06	30.98
6.	43– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	25.94	56.07	37.51	99.69	219.21	67.15	45.48	30.63
7.	44– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	33.30	46.73	324.65	716.58	1,121.26	651.39	63.91	58.09
8.	49– जल संसाधन विभाग	415.22	94.09	245.51	787.99	1,542.81	578.23	51.07	37.48
9.	50– लघु जल संसाधन विभाग	70.65	125.99	56.78	256.69	510.11	206.64	50.32	40.51
		713.73	**921.29**	**1,469.94**	**4,890.92**	**7,995.88**	**4,172.75**	**61.17**	**52.19**

(स्रोतः वर्ष 2019–20 के वित्त लेखे)

परिशिष्ट–3.10

(संदर्भः कंड़िका 3.4.4)

मार्च 2020 में किए गए शत् प्रतिशत व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	मार्च में 100% व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	01	2415–01–277–0101– राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	0.42
2.	03	4059–01–796–0104– अनुसूचित जनजाति हेतु भवन	135.20
3.		4059–60–051–0318– अनुसूचित जातियो के विकास हेतु स्कीम	4.25
4.	11	2225–03–277–0214– प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति	11.50
5.		2225–03–277–0314– प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति	11.50
6.	13	2049–03–104–0001– साधारण भविष्य निधि पर ब्याज	280.93
7.		2049–03–104–0002– भारतीय प्रशासनिक सेवा भविष्य निधि पर ब्याज	12.00
8.		2049–03–108–0001– बीमा और पेंशन निधि पर ब्याज	291.60
9.	19	2406–04–101–0201– राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)	1.98
10.		2406–04–101–0301– राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)	1.32
11.	20	2210–03–110–0305– एनएचएम के केन्द्रीय भाग मद में प्राप्त कम राशि का राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति	75.41
12.	21	2202–04–200–0204– राष्ट्रीय शिक्षा मिशन–साक्षर मिशन	5.25
13.		2202–04–200–0304– राष्ट्रीय शिक्षा मिशन–साक्षर मिशन	3.50
14.		2202–80–004–0011– ललित नारायण मिश्रा इंस्टीटयूट ऑफ इकेनामिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज	2.30
15.		2205–00–105–0009– खुदाबख्श खॉ ओरियंटल उर्दू लाईब्रेरी, पटना को सहायक अनुदान	0.04
16.	25	5465–02–190–0001– बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम	19.35
17.	26	2230–03–003–0234– औद्योगिक मूल्य वृद्धि के लिए दक्षता वृद्धि (एस0टी0आर0आई0वाई0ई0)	1.56
18.	38	2039–00–001–0109– समेकित उत्पाद प्रबंधन प्रणाली	16.00
19.	44	2225–01–190–0001– बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, पटना	7.75
20.		2225–01–197–0001– प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	0.15
21.		2225–01–198–0001– प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	0.50
22.		2225–01–277–0319– पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति	58.00
23.		2225–02–102–0105– अनुसूचित जनजाति विकास हेतु	10.00
24.		2225–02–277–0216– पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	3.00
25.	48	2215–02–106–0302– राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन0आर0सी0पी0)	1.00
26.		2215–02–789–0303– राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन0आर0सी0पी0)	39.00
27.		2215–02–796–0305– राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन0आर0सी0पी0)	4.00
28.		2217–01–789–0102– परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	20.00
29.		3435–04–101–0002– बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण और कार्यक्रम	0.25
30.	51	2235–03–101–0102– इंदिया गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	3.00
योग			**1,020.75**

(स्रोतः वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट–3.11

(संदर्भः कंड़िका 3.4.5)

गैर आकस्मिक खर्च के लिए आकस्मिकता निधि से निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विभाग	उद्देश्य	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2012	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक	बिहार के राज्यपाल के कार्यालय के लिए एक नई कार खरीदने हेतु	0.71
2.	2043	राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	वाणिज्यिक–कर–न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के लिए वाहन खरीदने हेतु	0.11
3.			फिल्म–"सुपर 30" के लिए मल्टीप्लेक्स/सिनेमा हॉल में प्रवेश शुल्क के रूप में प्रभारित राज्य कर के बराबर मुआवजा राशि	0.40
4.	2052	सचिवालय–सामान्य सेवाएँ	सरकार के प्रयोग के लिए दो इनोवा वाहन खरीदने हेतु	0.36
5.			मुख्यमंत्री सचिवालय के लिए वाहन क्रय हेतु	0.24
6.			मुख्यमंत्री सचिवालय के लिए प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक कार क्रय हेतु	0.24
7.			योजना एवं विकास विभाग, बिहार के लिए वाहन क्रय करने हेतु	0.23
8.			मुख्यमंत्री, बिहार के विशेष कार्य अधिकारी के लिए सफारी कार खरीदने हेतु	0.13
9.	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	नागरिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना के लिए वाहन क्रय करने हेतु	0.18
10.			सात नई मारुति सियाज और एक हुंडई कोना इलेक्ट्रिक कार खरीदने हेतु	0.93
11.	2202	सामान्य शिक्षा	उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के नियोजित होने तक स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों को अग्रिम वेतन भुगतान की स्वीकृति	50.00
12.			जल जीवन हरियाली, नशामुक्ति, बाल विवाह रोकथाम एवं दहेज उन्मूलन से संबंधित राज्यव्यापी मानव श्रृंखला के निर्माण हेतु व्यय	19.40
13.	2205	कला एवं संस्कृति	अभिलेखागार के लिए वाहन हेतु	0.09
14.	2251	सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ	श्रम एवं संसाधन विभाग के कार्यालय हेतु वाहन क्रय करने हेतु	0.23
15.			कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के कार्यालय हेतु दो इनोवा कारों की खरीद हेतु	0.46
16.			समाज कल्याण विभाग के कार्यालय हेतु वाहन क्रय करने हेतु	0.23
17.			संविदा कर्मचारियों को मानदेय के भुगतान के संबंध में	0.21
18.	2405	मत्स्य	राज्य मत्स्य विकास निगम के कर्मचारियों को नियोक्ता का पीएफ अंशदान	0.76

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विभाग	उद्देश्य	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19.	2406	वानिकी और वन्यजीव	जल जीवन हरियाली मिशन के तहत अतिरिक्त वृक्षारोपण	30.00
20.			जल जीवन हरियाली मिशन के तहत अतिरिक्त वृक्षारोपण	61.70
21.	2700	सिंचाई	बान सागर बांध के संचालन और रखरखाव के लिए एम0पी0 सरकार को दी गई योजनागत भागीदारी हेतु	34.22
22.	3054	सड़कें और पुल	ओपीआरएमसी चरण–II और अन्य स्वीकृत योजना के निष्पादन के लिए अतिरिक्त निधि	450.00
23.	3451	सचिवालय– आर्थिक सेवाएँ	जल एवं संसाधन विभाग सचिवालय के लिए इनोवा कार खरीदने हेतु	0.18
24.			खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के लिए वाहन खरीदने हेतु	0.32
25.			लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के मुख्यालय के लिए एक नई कार खरीदने हेतु	0.12
26.			संविदा कर्मचारियों को बकाया भुगतान और मानदेय भुगतान हेतु	0.24
27.			इनोवा कार गन्ना (उद्योग) विभाग, बिहार की खरीद हेतु	0.23
28.			ऊर्जा विभाग, बिहार के लिए नया वाहन खरीदने हेतु	0.12
29.	4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	भवन निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति के संदर्भ में सिकंदरपुर मौजा, बिहटा (पटना) में डीएमआई के स्थायी परिसर हेतु	0.90
30	4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	वित्तीय वर्ष 2019–20 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन हेतु	16.00
31.			वित्तीय वर्ष 2019–20 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन हेतु	1.00
32.			वित्तीय वर्ष 2019–20 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन हेतु	83.00
33.	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	350वें गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर बहुउद्देशीय लाइटनिंग सेंटर एवं पार्कों के निर्माण हेतु	28.73
योग				**781.67**

(स्रोतः वित्त विभाग, बिहार सरकार के अभिलेख)

परिशिष्ट–3.12

(संदर्भः कंडिका 3.5.1)

अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (अनुदान संख्या–16)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	शीर्ष	मूल प्रावधान	अनूपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय
1.	2515–00–198–0215– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर0जी0एस0ए0)	8.28	54.47	62.75	0.00
2.	2515–00–789–0214– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर0जी0एस0ए0)	1.59	10.46	12.05	0.00
3.	2515–00–796–0220– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर0जी0एस0ए0)	0.13	0.84	0.97	0.00
4.	2515–00–198–0113– मुख्यमंत्री निश्चय योजना	1471.85	830.00	2301.85	894.66
5.	2515–00–789–0112– मुख्यमंत्री निश्चय योजना	422.14	160.00	582.14	282.77
6.	2515–00–796–0119– मुख्यमंत्री निश्चय योजना	31.01	10.00	41.01	30.89
7.	2515–00–196–0007– राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान	525.24	104.21	629.45	253.45
8.	2515–00–197–0004– राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान	262.62	7.10	269.72	95.88
9.	2515–00–198–0009– राज्य वित्त आयोग के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान	1796.36	239.59	2035.95	982.12
10.	2515–00–198–0001– पंचायती राज संस्थाओं को सहायता	6368.25	3.37	6371.62	5678.20
योग		**10,887.47**	**1,420.04**	**12,307.51**	**8217.97**

(स्रोतः वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट–3.13

(संदर्भः कंडिका 3.5.1)

सघन व्यय (अनुदान संख्या–16)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	शीर्ष	आवंटन सं0/दिनांक	आवंटित राशि	2019–20 के दौरान	मार्च 2020 में व्यय	मार्च में व्यय का प्रतिशत
1	2015.00.109.0002. जिला परिषद्/पंचायत समिति/ग्राम पंचायतों का चुनाव	10/6.6.19	0.64	1.36	0.79	58.08
		11/6.6.19	0.005			
		20/30.7.19	0.10			
		41/4.9.19	0.09			
		42/4.9.19	0.51			
		52/4.10.19	0.43			
		57/21.11.19	0.21			
		63/15.1.20	0.10			
		64/15.1.20	0.10			
		71/6.3.20	0.23			
		72/12.3.20	3.26			
2	2515.अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–00–198–ग्राम पंचायतों को सहायता –0014–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम कचहरी को अंशदान	33/21.08.19	41.93	23.52	15.11	64.24
योग				**24.88**	**15.90**	**63.90**

(स्रोतः पंचायती राज विभाग, बिहार, विस्तृत विनियोग लेखे और मासिक व्यय प्रतिवेदन से प्राप्त आँकड़ें)

परिशिष्ट–3.14

(संदर्भः कंडिका 3.5.1)

व्यय के आँकड़ें का असमाशोधन (अनुदान संख्या– 16)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	योजना का नाम	योजना शीर्ष	विभाग द्वारा दर्ज व्यय	महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा दर्ज व्यय	अन्तर
1.	निर्वाचन	2015–निर्वाचन–00–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–0002–जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव	1.41	1.36	0.05
2.	ग्राम कचहरी के लिए किराया एवं आकस्मिक	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–00–800–अन्य व्यय–0112–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु	4.72	3.41	1.31
3.	पंचायती राज संस्थानों एवं ग्राम कचहरी के कर्मचारियों को भत्ता तथा अन्य	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–00–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –0103–ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	14.37	12.05	2.32
4.	ग्राम पंचायत के लिए आकस्मिक	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–00–800–अन्य व्यय–0114–ग्राम पंचायत के विभिन्न मदों हेतु	1.05	0.75	0.30
5.	मुखिया/सरपंच/जिला पंचायत का प्रशिक्षण एवं स्थापना	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–00–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–0014–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम कचहरी को अंशदान	32.36	23.52	8.84
6.	पंचायती राज संस्थानों एवं ग्राम कचहरी के कर्मचारियों को भत्ता तथा अन्य	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–00–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–0105–ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु	72.36	60.79	11.57
7.	पंचायती राज संस्थानों एवं ग्राम कचहरी के कर्मचारियों को भत्ता तथा अन्य	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–00–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0106–जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	0.64	0.59	0.05
8.	ग्राम कचहरी/न्यायमित्र/ सचिव मानदेय	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–00–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–0010–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु	136.59	93.83	42.76
9.	संविदा पर डी0ई0ओ0 का प्रशिक्षण	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–0102–जिला पंचायत की स्थापना	0.06	11.75	11.69
10.	मुखिया/सरपंच/जिला पंचायत का प्रशिक्षण एवं स्थापना	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–00–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–0009–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान	990.39	982.12	8.27

क्रम सं0	योजना का नाम	योजना शीर्ष	विभाग द्वारा दर्ज व्यय	महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा दर्ज व्यय	अन्तर
11.	जिला पंचायत स्थापना	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–0003–जिला पंचायत की स्थापना	157.71	159.64	1.93
12.	5वाँ राज्य वित्त आयोग	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–00–196–जिलो परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता –0007–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान	290.02	253.45	36.57
13.	पंचायती राज संस्थानों एवं ग्राम कचहरी के कर्मचारियों को भत्ता तथा अन्य	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–00–196–जिलो परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता–0106–जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	3.37	3.10	0.27
14.	पंचायती राज संस्थानों एवं ग्राम कचहरी के कर्मचारियों को भत्ता तथा अन्य	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–00–197–ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता–0103–प्रखंड/पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	16.27	13.62	2.65
15.	पंचायती राज संस्थानों एवं ग्राम कचहरी के कर्मचारियों को भत्ता तथा अन्य	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–00–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–0106–ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	81.00	58.56	22.44
16.	सात निश्चय	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–00–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–0113–मुख्यमंत्री निश्चय योजना	903.56	894.66	8.90
17.	पंचायती राज संस्थानों एवं ग्राम कचहरी के कर्मचारियों को भत्ता तथा अन्य	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–00–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0104–ग्राम कचहरी के निर्वाचन प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	17.37	13.10	4.27
18.	पंचायती राज संस्थानों एवं ग्राम कचहरी के कर्मचारियों को भत्ता तथा अन्य	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–00–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0105–पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	3.14	2.80	0.34
19.	5वाँ राज्य वित्त आयोग	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–00–197–ब्लॉक/ पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता–0004– राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान	111.93	95.88	16.05
20.	पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत सरकार भवन	4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–00–101–पंचायती राज–0108–पंचायत सरकार भवन	45.64	45.12	0.52
योग			**2,883.96**	**2,730.13**	**181.08**

(स्रोतः पंचायती राज विभाग, बिहार और विस्तृत विनियोग लेखे से प्राप्त आँकड़ें)

परिशिष्ट–3.15

(संदर्भः कंडिका 3.5.1)

लंबित सार आकस्मिक विपत्र (अनुदान संख्या– 16)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	वर्ष	आहरित सार आकस्मिक विपत्र	समायोजित सार आकस्मिक विपत्र	लंबित सार आकस्मिक विपत्र
1.	2002-03	4.58	4.41	0.16
2.	2003-04	0.82	0.63	0.19
3.	2004-05	5.39	4.79	0.60
4.	2005-06	19.00	17.98	1.02
5.	2006-07	19.85	17.23	2.62
6.	2007-08	203.82	198.13	5.69
7.	2008-09	175.30	168.34	6.96
8.	2009-10	203.29	190.83	12.46
9.	2010-11	362.20	359.69	2.51
10.	2011-12	116.04	112.17	3.87
11.	2012-13	0.02	0.00	0.02
12.	2013-14	0.17	0.12	0.05
13.	2014-15	4.44	1.29	3.15
14.	2015-16	131.59	93.65	37.94
15.	2016-17	29.27	15.03	14.24
योग		**1,275.78**	**1,184.30**	**91.48**

(स्रोतः पंचायती राज विभाग से प्राप्त आँकड़ें)

परिशिष्ट–3.16

(संदर्भः कंडिका 3.5.1)

लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (अनुदान संख्या– 16)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत राशि	समायोजित राशि	उपयोगिता के लिए बकाया (राशि)
1.	2003–04 से 2016–17	25,567.14	17,138.47	8,428.67
2.	2017–18	7,028.64	140.41	6,888.23
3.	2018–19 (31.05.2020 तक)	4,664.32	5.71	4,658.61
योग		**37,260.10**	**17,284.59**	**19,975.51**

(स्रोतः पंचायती राज विभाग से प्राप्त आँकड़ें)

परिशिष्ट–3.17

(संदर्भः कंडिका 3.5.2)

अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (अनुदान संख्या– 51)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	खर्च	बचत
राजस्व (दत्तमत)						
1.	2235–02–102–0324– किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी स्कीम (एस0ए0बी0ए0एल0ए0) (किशोरी बालिकाओं के लिए योजना)	7.00	1.16	8.16	0.69	7.47
2.	2235–02–103–0225– मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना)	22.13	1.04	23.17	2.42	20.75
3.	2235–02–102–0222– एकीकृत बाल विकास सेवाएँ	854.15	12.25	866.4	740.99	125.41
4.	2235–02–102–0225– राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (आई0एस0एस0एन0आई0पी0 सहित) योजना	198.17	63.67	261.84	193.39	68.45
5.	2235–03–101–0201– इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	678.55	13.89	692.44	629.74	62.70
6.	2235–03–101–0203– इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	177.84	3.12	180.96	153.12	27.84
7.	2235–03–789–0201– इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	370.00	6.70	376.70	290.00	86.70
	योग	**2,307.84**	**101.83**	**2,409.67**	**2,010.35**	**399.32**
पूँजीगत (दत्तमत)						
8.	4235–02–102–0208– एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आर0सी0डी0एस0)	30.83	34.18	65.01	9.67	55.34
योग		**30.83**	**34.18**	**65.01**	**9.67**	**55.34**
महायोग		**2,338.67**	**136.01**	**2,474.68**	**2,020.02**	**454.66**

(स्रोतः वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट–3.18

(संदर्भः कंडिका 3.5.2)

वार्षिक योजना 2019–20 की स्वीकृति, व्यय एवं समर्पण

(अनुदान संख्या– 51)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	योजना का नाम	परिव्यय (2019–20)	आंतरिक समायोजन के बाद कुल परिव्यय, तृतीय आपूर्ति	बजटीय राशि	स्वीकृत राशि	परिव्यय मार्च 2020 में अभ्यर्पण	परिव्यय मार्च 2020 के बाद अभ्यर्पण	संचयी व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राज्य योजना									
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	381.00	681.00	681.00	681.00	0.00	681.00	680.68	99.95
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	20.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100.00
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	100.00
4	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	0.00	584.00	584.00	584.00	0.00	584.00	583.75	99.96
5	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	185.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	100.00
6	बिहार विकलांगता पेंशन योजना	250.00	386.00	386.00	386.00	0.00	386.00	386.00	100.00
7	कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना	50.00	35.00	35.00	35.00	0.00	35.00	32.50	92.86
8	मुख्यमंत्री विकलांग सुदृढ़ीकरण योजना (संबल)	5.00	8.50	8.50	8.50	0.00	8.50	8.50	100.00
9	मुख्यमंत्री परिवारिक लाभ योजना	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	3.25	65.00
10	बिहार शताब्दी मजदूर कल्याण योजना	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100.00
11	मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	3.30	33.00
12	वृद्धावस्था भवन (सहारा)	6.00	4.50	4.50	4.50	0.00	4.50	1.85	41.11
13	वृद्धाश्रम निर्माण (डी0 3)	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100.00
14	बिहार एड्स पीड़ित कल्याण योजना	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	9.50	95.00
15	मुख्यमंत्री विकलांग विवाह अनुदान योजना	1.00	2.50	2.50	2.50	0.00	2.50	2.50	100.00
16	एस0आई0पी0डी0ए0	0.00	1.00	1.00	1.00	0.15	0.85	0.85	100.00
17	एस0आई0पी0डी0ए0 (डी0 3)	0.00	5.34	5.34	5.34	0.00	5.34	5.34	100.00
18	क्षतिग्रस्त भवन का मरम्मतिकरण (डी0 3)	0.00	1.15	1.15	1.15	0.01	1.14	1.14	100.00
19	एम0आई0एस0	12.50	16.50	16.50	16.50	0.00	16.50	13.06	79.18
20	आंगनवाड़ी केंद्र में पूर्वस्कूली बच्चों के लिए पोशाक	142.33	155.22	155.22	155.22	0.00	155.22	145.79	93.93

क्रम सं0	योजना का नाम	परिव्यय (2019–20)	आंतरिक समायोजन के बाद कुल परिव्यय, तृतीय आपूर्ति	बजटीय राशि	स्वीकृत राशि	परिव्यय मार्च 2020 में अभ्यर्पण	परिव्यय मार्च 2020 के बाद अभ्यर्पण	संचयी व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	आई0सी0डी0एस0–स्थापना	285.17	299.09	299.09	299.09	2.66	296.43	266.60	89.94
22	महिला विकास निगम	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	4.25	85.00
23	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	91.40	49.79	49.79	49.79	0.00	49.79	40.37	81.08
24	मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	62.00	31.98	31.98	31.98	11.52	20.46	20.46	100.00
25	मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना	100.00	43.00	43.00	43.00	0.00	43.00	42.73	99.37
26	बाल अधिकार सुरक्षा हेतु राज्य आयोग	4.30	4.30	4.30	4.30	0.00	4.30	2.28	53.00
27	कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों, अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए विशेष योजना	17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	17.00	10.77	63.37
28	प्रदर्शनी/संगोष्ठी और सम्मेलन	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00
29	फील्ड अधिकारियों का प्रशिक्षण	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.10	0.05	45.90
30	भूमि अधिग्रहण	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00
31	परवरिश	19.00	20.46	20.46	20.46	0.00	20.46	20.46	100.00
32	भवन निर्माण (डी–3)	5.00	37.18	37.18	37.18	0.00	37.18	37.18	100.00
33	निःशक्तता आयुक्त कार्यालय की स्थापना	1.00	1.20	1.20	1.20	0.00	1.20	1.00	83.33
	योग	**1,700.00**	**2,757.01**	**2,725.01**	**2,757.01**	**14.33**	**2,742.68**	**2,666.17**	**97.21**
	केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं								
अ	**केन्द्रांश**								
34	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	1,100.00	951.19	951.19	951.19	0.00	951.19	951.19	100.00
35	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	275.00	203.12	203.12	203.12	0.00	203.12	203.12	100.00
36	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना	50.00	45.70	45.70	45.70	0.00	45.70	45.70	100.00
37	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	75.00	32.97	32.97	32.97	0.00	32.97	4.96	15.04
38	मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय नीति	0.00	1.13	1.13	1.13	0.00	1.13	0.15	12.89
39	वृद्ध नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
40	एस0आई0पी0डी0ए0	18.00	12.99	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00
41	एस0आई0पी0डी0ए0 (डी0 3)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
42	आई0सी0डी0एस0 (स्थापना, प्रशिक्षण, आई0एस0एस0एन0 आई0पी0 सहित)	854.16	753.14	753.14	753.14	281.73	471.41	394.37	83.66

क्रम सं0	योजना का नाम	परिव्यय (2019–20)	आंतरिक समायोजन के बाद कुल परिव्यय, तृतीय आपूर्ति	बजटीय राशि	स्वीकृत राशि	परिव्यय मार्च 2020 में अभ्यर्पण	परिव्यय मार्च 2020 के बाद अभ्यर्पण	संचयी व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	पोषण	1,279.27	911.23	911.23	911.23	122.97	788.25	573.19	72.72
44	एनएमईडब्ल्यू (आई0जी0एम0एस0वाई0)	29.22	14.17	14.17	14.17	5.32	8.86	8.86	100.00
45	पी0एम0एम0वी0वाई0	22.13	22.13	22.13	22.13	20.44	1.69	1.00	58.89
46	एस0ए0जी0 (सबला)	30.19	4.31	4.31	4.31	2.31	2.00	0.16	7.84
47	आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण	53.89	53.89	53.89	53.89	44.23	9.66	5.83	60.30
48	राष्ट्रीय पोषण मिशन (एन0एन0एम0) / आई0एस0एस0 एन0आई0पी0	198.17	198.17	198.17	198.17	10.53	187.64	134.34	71.59
49	राष्ट्रीय शिशु गृह योजना	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
50	आई0सी0पी0एस0	80.00	72.00	72.00	72.00	45.00	27.00	14.05	52.05
	योग	**4,067.63**	**3,280.72**	**3,280.72**	**3,280.72**	**548.11**	**2,732.61**	**2,336.89**	**85.52**
ब	**राज्यांश**								
51	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	324.00	650.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	100.00
52	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	40.00	66.00	66.00	66.00	0.00	66.00	66.00	100.00
53	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना	7.00	14.00	14.00	14.00	0.00	14.00	14.00	100.00
54	आई0सी0डी0एस0 (स्थापना, प्रशिक्षण, आई0एस0एस0 एन0आई0पी0 सहित)	253.25	474.22	474.22	474.22	9.75	464.48	365.66	78.73
55	पोषण	450.92	1,013.63	1,013.63	1,013.63	0.00	1,013.63	956.66	94.38
56	एनएमईडब्ल्यू (आई0जी0एम0एस0वाई0)	0.00	6.00	6.00	6.00	0.10	5.90	5.90	100.00
57	पी0एम0एम0वी0वाई0	13.17	36.66	36.66	36.66	0.03	36.63	36.11	98.58
58	एस0ए0जी0 (सबला)	9.33	0.90	0.90	0.90	0.05	0.85	0.08	9.10
59	आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण	0.00	11.13	11.13	11.13	0.05	11.08	5.69	51.41
60	राष्ट्रीय पोषण मिशन (एन0एन0एम0) / आई0एस0एस0 एन0आई0पी0	33.03	51.10	51.10	51.10	0.99	50.11	23.55	47.00
61	राष्ट्रीय शिशु गृह योजना	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	आई0सी0पी0एस0	19.00	29.00	29.00	29.00	0.00	29.00	27.35	94.31
	उप योग	**1,150.00**	**2,352.64**	**2,352.64**	**2,352.64**	**10.97**	**2,341.67**	**2,151.01**	**91.86**
	योग						**7816.96**	**7154.07**	
	ई0ए0पी0 को छोड़कर स्वतः अभ्यर्पण						**662.89**		
	ई0ए0पी0								
63	बी0आई0एस0पी0एस0	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	80.00	26.40	33.00
	उप योग	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**0.00**	**80.00**	**26.40**	33.00
	महा योग	**6,997.63**	**8,470.37**	**8,470.37**	**8,470.37**	**573.41**	**7,896.96**	**7,180.47**	**90.93**

(स्रोतः समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़ें)

परिशिष्ट–3.19

(संदर्भः कंडिका 3.5.2)

लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (अनुदान संख्या– 51)

(₹ करोड़ में)

समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना (उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतिवेदन)			
वर्ष	**स्वीकृत**	**समायोजन राशि**	**शेष**
2003-04	150.13	69.01	81.12
2004-05	4.21	4.21	0.00
2005-06	3.96	3.66	0.30
2006-07	105.71	95.00	10.71
2007-08	10.00	6.36	3.64
2008-09	4.10	4.10	0.00
2009-10	10.20	10.00	0.20
2010-11	893.38	856.85	36.53
2011-12	1,874.81	1,774.32	100.49
2012-13	1,777.40	1,737.38	40.03
2013-14	2,135.60	2,117.57	18.03
2014-15	3,686.76	3,549.63	137.13
2015-16	3,588.36	3,454.15	134.21
2016-17	4,229.90	3,123.71	1,106.20
2017-18	6,311.46	3,664.00	2,647.46
2018-19	9,113.24	2,870.82	6,242.43
योग	**33,899.23**	**23,340.75**	**10,558.48**

(स्रोतः समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़ें)

परिशिष्ट–3.20

(संदर्भः कंडिका 3.5.2)

लंबित सार आकस्मिक विपत्रों की स्थिति (अनुदान संख्या– 51)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सार आकस्मिक विपत्रों का आहरण		विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का प्रस्तुतीकरण		लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्र	
तक	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2002-2003	1423	33.72	1423	23.40	1423	10.32
2003-2004	1300	47.50	1300	41.24	1300	6.26
2004-2005	823	67.98	823	57.61	823	10.37
2005-2006	398	63.18	398	52.82	398	10.36
2006-2007	342	160.92	342	150.93	342	9.99
2007-2008	605	166.51	605	157.92	605	8.59
2008-2009	1298	60.42	1298	51.62	1298	8.80
2009-2010	1854	526.54	1854	516.03	1854	10.52
2010-2011	1052	680.04	1052	660.79	1052	19.25
2011-2012	2306	443.90	2306	420.91	2306	22.98
2012-2013	54	2.64	54	2.03	54	0.61
2013-2014	22	0.91	22	0.88	22	0.04
2014-2015	14	9.55	14	4.26	14	5.28
2015-2016	474	59.52	474	54.23	474	5.29
2016-2017	194	15.58	194	9.85	194	5.73
2017-2018	11	11.47	11	8.35	11	3.12
2018-2019	11	60.22	11	0.73	11	59.49
2019-2020	5	2.21	5	0.00	5	2.21
महायोग		**2,412.82**		**2,213.62**		**199.20**

(स्रोतः समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़ें)

परिशिष्ट–4.1

(संदर्भः कंडिका 4.2; पृष्ठ 83)

अपूर्ण परियोजनाओं पर लंबित भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	परियोजना/कार्यों का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	लक्ष्य पूरा होने का वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (*प्रतिशत में*)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, यदि कोई हो/ पुनरीक्षण की तिथि#	मुद्रास्फीति के रूप में समायोजित शेष कार्य की लागत
1.	नवादा जिले में पचराहा शिवनारायण बीघा आहर/ पाइन सिंचाई प्रणाली का नवीनीकरण	338.45	2018-19	2019-20	62	118.97	152.81	185.64	**	**
2.	जहानाबाद जिले में मंडई वियर, एफ्लक्स बाँध, गाइड बाँध हेड रेगुलेटर इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण के लिए अवशिष्ट कार्य	23,283.82	2017-18	2019-20	28	285.00	3,010.37	8,244.32	**	**
3.	औरंगाबाद जिले में जगरनाथ मेन पाइन और इसकी प्रणाली तेतरिया और कंचनपुर पाइन का नवीनीकरण	393.57	2018-19	2019-20	44	190.30	190.30	152.07	**	**
4.	गया जिले में बेलनागिनिया आहर/पाइन का जीर्णोद्धार	592.68	2018-19	2019-20	62	230.13	289.25	303.43	**	**
5.	गया जिले में सोंडिहा आंटी का जीर्णोद्धार	502.81	2019-20	2019-20	86	124.3	124.3	378.5	**	**
6.	गया जिले में रूपसपुर पाली आहर/पाइन का जीर्णोद्धार	367.07	2019-20	2019-20	72	1.70	1.70	365.37	**	**
7.	गया जिले में खतनाही पोखर का जीर्णोद्धार	139.57	2019-20	2019-20	80	0.000	0.000	139.57	**	**
8.	पटना जिले में बभनलाई आहर/पाइन योजना का जीर्णोद्धार एवं पुर्नस्थापना	119.39	2019-20	2019-20	70	**	**	109.78	**	109.78
9.	पटना जिले में नवी आहर पाइन योजना का नवीनीकरण	273.41	2019-20	2019-20	75	12.47	12.47	238.96	**	238.96
10.	पटना जिले में तिसखोरा आहर/पाइन योजना का नवीनीकरण	426.16	2019-20	2019-20	70	**	**	391.70	**	391.7
11.	पटना जिले में नानौरी आहर/पाइन योजना का जीर्णोद्धार एवं पुर्नस्थापना	250.33	2019-20	2019-20	70	12.83	12.83	217.79	**	217.79
12.	पटना जिले में दौलतपुर सिमरी तालाब योजना का नवीनीकरण	103.79	2019-20	2019-20	70	**	**	94.96	**	94.97
13.	पटना जिले में नाहरपुर (निसारपुरा) कुरकुरी आहर/पाइन योजना का नवीनीकरण	109.09	2019-20	2019-20	85	**	**	100.24	**	100.24
14.	पटना जिले में फतेहपुर करहा आहर योजना का नवीनीकरण	112.91	2019-20	2019-20	70	**	**	97.31	**	97.31

क्रम सं0	परियोजना/कार्यों का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	लक्ष्य पूरा होने का वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (*प्रतिशत में*)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, यदि कोई हो/पुनरीक्षण की तिथि#	मुद्रास्फीति के रूप में समायोजित शेष कार्य की लागत
15.	पटना जिले में बरनी आहर/पाइन योजना का नवीनीकरण	109.53	2019-20	2019-20	50	**	**	100.59	**	100.59
16.	पटना जिले में नेतर आहर/पाइन योजना का नवीनीकरण	229.31	2019-20	2019-20	85	56.29	56.29	154.68	**	154.68
17.	पटना जिले में बड़ा आहर/पाइन योजना का नवीनीकरण	137.87	2019-20	2019-20	60	**	**	125.85	**	125.85
18.	पटना जिले में देवड़ा आहर/पाइन योजना का नवीनीकरण	130.36	2019-20	2019-20	70	22.71	22.71	96.34	**	96.34
19.	पटना जिले में देवकुली आहर/पाइन योजना का नवीनीकरण	271.95	2019-20	2019-20	70	40.33	40.33	209.58	0.00	209.58
20.	पटना जिले में बहुआरा आहर/पाइन योजना का नवीनीकरण	152.83	2019-20	2019-20	80	37.4	37.4	101.85	0.00	101..85
21.	पटना जिले में बकरपुर आहर/पाइन योजना का नवीनीकरण	430.15	2019-20	2019-20	70	19.63	19.63	375.70	0.00	375.70
22.	सासाराम जिले में कावन वीयर का जीर्णोद्धार	1790	2017-18	2019-20	82	1,053.88	412.08	412.08	**	**
23.	सासाराम जिला के सोन बैराज अंचल, डेहरी में सोन पश्चिमी लिंक नहर का जीर्णोद्धार एवं लाइनिंग कार्य	149	2017-18	2019-20	66	33.15	144.25	84.75	229.00 dt.27/02/19	**
24.	सूरजगढ़ा प्रखंड, लखीसराय जिला की सूरजगढ़ा पंप नहर योजना का नवीनीकरण	1218	2018-19	2019-20	75	1,060.22	1,260.22	356.63	399.07 dt.20/09/19	**
25.	लखीसराय जिले के सूरजगढ़ा प्रखंड के ग्राम पंचायत सलेमपुर पूर्व, सलेमपुर पश्चिम, गोपालपुर एवं जकरपुरा के अंतर्गत सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सलेमपुर खरनपुर पाइन के जीर्णोद्धार का निर्माण	1390	2018-19	2019-20	80	770.80	870.80	565.83	47.08 dt.20/09/19	**
26.	गया में राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन का कार्य	873.00	2018-19	2019-20	27	**	236.20	636.80	**	**
27.	जिला परिवहन कार्यालय निर्माण कार्य, मधेपुरा	131.83	2018-19	2019-20	49	19.31	63.96	32.13	**	**
28.	जिला आपूर्ति श्रृंखला भवन का निर्माण मधेपुरा	113.22	2019-20	2019-20	28	31.31	31.31	81.92	**	**
29.	पटना उच्च न्यायालय के परिसर विस्तार के लिए विकास, भूनिर्माण, बागवानी और कनेक्टिंग ब्रिज कार्य	1,320.78	2019-20	2019-20	71	943.44	943.44	377.34	**	**

क्रम सं0	परियोजना/कार्यों का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	लक्ष्य पूरा होने का वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (*प्रतिशत में*)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, यदि कोई हो/पुनरीक्षण की तिथि#	मुद्रास्फीति के रूप में समायोजित शेष कार्य की लागत
30.	42, हार्डिंग रोड, पटना में वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी के आवास में बाउंड्री वॉल, मेन गेट गार्ड रूम के साथ निर्माण कार्य	136.81	2019-20	2019-20	37	50.00	50.00	86.81	**	**
31.	चौथम, खगड़िया में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र भवन का निर्माण	740.79	2017-18	2019-20	79	4.68	4.68	1.24	**	**
32.	औरंगाबाद के केरोप और दहाजी में पंचायत सरकारी भवन का निर्माण	255.3	2018-19	2019-20	70	16.35	156.41	89.82	**	**
33.	पटना में (i) ब्लॉक धनरुआ में कोसुत पंचायत और (ii) ब्लॉक धनरुआ में विजयपुरा पंचायत में पंचायत सरकारी भवन का निर्माण	280.66	2018-19	2019-20	51	51.24	103.02	177.63	**	**
34.	पटना में ब्लॉक दानापुर, (विश्व बैंक समर्थित) में सरकार पंचायत में पंचायत सरकारी भवन का निर्माण	129.87	2018-19	2019-20	58	47.32	75.57	54.30	**	**
35.	रोहतास सासाराम के पंचायत अकोढ़ी गोला, में सरकारी पंचायत भवन का निर्माण	144	2018-19	2019-20	30	43.92	43.92	100.07	**	**
36.	प्रखंड रोहतास में रोहतास गढ़ पंचायत का निर्माण	144	2018-19	2019-20	30	44.43	44.43	99.57	**	**
37.	पंचायत सरकारी भवन (i) यदुनाथपुर पंचायत प्रखंड नौहटा, सासाराम, रोहतास में निर्माण	144	2018-19	2019-20	25	32.63	32.63	111.3	**	**
38.	सीतामढ़ी के ब्लॉक बैरगनिया के मड़पा ताहिद पंचायत पथाही में कब्रिस्तान और चारदीवारी निर्माण कार्य	107.94	2019-20	2019-20	70	74.36	74.36	3.32	**	**
39.	समस्तीपुर में वर्ष 2018–2019 के एस0बी0डी0 के अंतर्गत मोतीपुर चौक–भेरोखेड़ा–इमली चौक–सिलौत–गंडक बाँध का 0.00 में 13.600 किमी में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	1,873.38	2018-19	2019-20	38	72.36	713.72	1,159.65	**	**
40.	समस्तीपुर में वर्ष 2018 – 2019 के एस0बी0डी0 के तहत पटेल चौक एनएच–103 से बसरिया एनएच–28 का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	1,251.63	2018-19	2019-20	59	93.93	742.90	508.72	**	**

क्रम सं0	परियोजना/कार्यों का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	लक्ष्य पूरा होने का वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (*प्रतिशत में*)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, यदि कोई हो/पुनरीक्षण की तिथि#	मुद्रास्फीति के रूप में समायोजित शेष कार्य की लागत
41.	मुंगेर में वर्ष 2018–19 के लिए कुल 4.18 किमी में, कोतवाली चौक – शास्त्री चौक – मंगल बाजार – सुभाष चौक – नया गांव – आईटीसी मजदूर गेट – काला पत्थर चौक रोड, (सीएच 0 – 4.18) के नाले, हार्ड शोल्डरिंग एवं सी0डी0 कार्य के साथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	1,064.00	2018-19	2019-20	85	747.30	900.80	163.19	**	**
42.	मुंगेर में वर्ष 2018–19 के लिए लल्लू पोखर तिनबटिया – भगत सिंह चौक– कोतवाली चौक शिवाला – साउथ क्विल गेट मुंगेर रोड (सी0एच0 0–3.90) कुल 3.90 किमी का नाला, हार्ड शोल्डरिंग और सीडी वर्क के साथ चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	870	2018-19	2019-20	84	616.90	737.87	132.13	**	**
43.	मुंगेर में वर्ष 2018–19 के लिए कुल 3.84 किमी में उत्तर किला गेट – लॉ कॉलेज – आईटीसी पार्क – पूरब सराय – मुंगेर बरियारपुर लिंक रोड (सी0एच0 0 – 3.84) का नाला, हार्ड शोल्डर सीडी वर्क के साथ चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	594.54	2018-19	2019-20	80	451.17	479.05	115.49	**	
44.	मुंगेर में वर्ष 2018–19 के लिए कुल 2.00 किमी में चुआ बाग महावीर मंदिर – कासिम बाजार – खोजा बाजार – बिंदवाड़ा मोड़ (मुंगेर – जमालपुर रोड) (सीएच 0 – 2.00) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण नाली, हार्ड शोल्डर एवं सीडी के साथ	498.82	2019-20	2019-20	45	224.03	224.03	274.79	**	**
45.	अररिया में वर्ष 2017–2018 के लिए पलासी रा.रा. 57 से जुम्मन चौक फोरबिसगंज तक सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	1,031.65	2018-19	2019-20	43	301.76	444.3	587.35	**	**

क्रम सं0	परियोजना/कार्यों का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	लक्ष्य पूरा होने का वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (*प्रतिशत में*)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, यदि कोई हो/पुनरीक्षण की तिथि#	मुद्रास्फीति के रूप में समायोजित शेष कार्य की लागत
46.	अररिया में वर्ष 2017 – 2018 के लिए चांदनी चौक से गाँधी चौक तक सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	2,263.37	2018-19	2019-20	41	945.48	945.48	1317.89	**	**
47.	गोपालगंज में वर्ष 2017–2018 के लिए कटेया बाजार के माध्यम से भगपट्टी–समौर बनकाटा के रखरखाव कार्य के साथ चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण 0.00 से 7.705 किमी	2,077.00	2018-19	2019-20	31	26.62	641.38	1435.62	**	**
48.	भभुआ में रामगढ़ से बरोरा रोड कि0मी0 0 से 7.255 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य	1,706.61	2018-19	2019-20	82	0	1,402.41	304.2	**	**
49.	एम0एम0जी0एस0वाय0 बंकाटिया से लोहाटी टोला तक पथ निर्माण कार्य	121.23	2018-19	2019-20	47	57.72	57.72	63.51	**	**
	योग							**12380.43 (123.80** करोड़)		

***संबंधित प्रभागों/राज्य सरकार द्वारा विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।*

(स्रोतः वित्त लेखे 2019–20)

परिशिष्ट–4.2

(संदर्भः कंडिका 4.10)

लघु शीर्ष–800– 'अन्य व्यय' का परिचालन
(संबंधित शीर्ष के अन्तर्गत 10 प्रतिशत से अधिक वाले मामले)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	कुल व्ययों में से लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय की प्रतिशतता
1	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	23.05	21.25	92.21
2	2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	619.15	216.42	34.95
3	6004	केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम	2245.67	390.77	17.4

(स्रोतः वित्त लेखे 2019–20)

परिशिष्ट–4.3

(संदर्भः कंडिका 4.10)

लघु शीर्ष 800–'अन्य प्राप्तियाँ' का परिचालन

(संबंधित शीर्ष के अंतर्गत 10 प्रतिशत से अधिक वाले मामले)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों में से लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत हुए प्राप्तियों की प्रतिशतता
1	0029	भू–राजस्व	275.28	104.88	38.1
2	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	1416.48	478.1	33.75
3	0059	लोक निर्माण	8.6	5.8	67.44
4	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	137.39	126.42	92.02
5	0202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	17.13	4.88	28.49
6	0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	47.54	26.53	55.81
7	0220	सूचना एवं प्रसार	0.24	0.07	29.17
8	0230	श्रम एवं रोजगार	11.28	7.76	68.79
9	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0.17	0.17	100
10	0401	फसल कृषि कर्म	13.12	5.97	45.5
11	0403	पशुपालन	0.7	0.21	30
12	0404	डेयरी विकास	0.02	0.02	100
13	0405	मत्स्य	14.28	1.5	10.5
14	0406	वानिकी और वन्य प्राणी	20.33	2.3	11.31
15	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	24.96	7.14	28.61
16	0702	लघु सिंचाई	17.69	10.9	61.62
17	0851	ग्राम एवं लघु उद्योग	0.08	0.08	100
18	0852	उद्योग	14.64	14.63	99.93
19	1053	नागरिक उड्डयन	1.95	1.58	81.03
20	1056	अंतर्देशीय जल परिवहन	0.01	0.01	100
21	1456	सिविल आपूर्ति	0.02	0.02	100

(स्रोतः वित्त लेखे 2019–20)

परिशिष्ट–4.4

(संदर्भः कंडिका 4.15)

निकायों या प्राधिकरणों की सूची, जिन्होंने सी0ए0जी0 को लेखाओं की लेखापरीक्षा नहीं सौंपी है

क्रम सं0	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	जिला
1	शिक्षा	सिमुलतल्ला शिक्षण संस्थान	जमुई
2	शिक्षा	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद	पटना
3	शिक्षा	एल0एन0मिश्रा आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान	पटना
4	शिक्षा	ए0एन0सिन्हा समाजिक शिक्षण संस्थान	पटना
5	शिक्षा	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (एस0एस0)	पटना
6	शिक्षा	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति	पटना
7	शिक्षा	टी0एम0 विश्वविद्यालय	भागलपुर
8	शिक्षा	वीर कुँअर सिंह विश्वविद्यालय	भोजपुर
9	शिक्षा	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय	दरभंगा
10	शिक्षा	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	दरभंगा
11	शिक्षा	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया	गया
12	शिक्षा	भूपेन्द्र नारायण मंडल, विश्वविद्यालय	मधेपुरा
13	शिक्षा	बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
14	शिक्षा	पटना विश्वविद्यालय	पटना
15	शिक्षा	आर्यभट्ट विश्वविद्यालय	पटना
16	शिक्षा	जय प्रकाश विश्वविद्यालय	सारण
17	स्वास्थ्य	इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान	पटना
18	स्वास्थ्य	बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति	पटना
19	स्वास्थ्य	बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा बोर्ड	पटना
20	स्वास्थ्य	बिहार नर्स पंजीकरण परिषद, पटना	पटना
21	स्वास्थ्य	बिहार राज्य होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड	पटना
22	श्रम संसाधन	बिहार भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	पटना
23	अल्पसंख्यक कल्याण	बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड	पटना
24	अल्पसंख्यक कल्याण	सैय्यद शहीद सफेदार पीर	पटना
25	अल्पसंख्यक कल्याण	बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड	पटना
26	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण	राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग	पटना
27	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण	बिहार महादलित विकास मिशन	पटना
28	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण	राज्य महादलित आयोग	पटना
29	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण	राज्य अनुसूचित जाति आयोग	पटना
30	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण	राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग	पटना
31	समाजिक कल्याण	महिला विकास निगम	पटना
32	समाजिक कल्याण	राज्य महिला आयोग	पटना
33	समाजिक कल्याण	बिहार राज्य सामाजिक कल्याण बोर्ड	पटना
34	समाजिक कल्याण	बिहार बाल अधिकार सुरक्षा आयोग	पटना
35	आपदा प्रबंधन	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	पटना
36	उद्योग	बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	पटना
37	उद्योग	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण	पटना
38	उद्योग	आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण	पटना
39	उर्जा	बिहार नवीनीकरण ऊर्जा विभाग अभिकरण (बी0आर0ई0डी0ए0)	पटना
40	जल संसाधन	जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान	पटना
41	नगर विकास एवं आवास विभाग	बिहार राज्य आवास बोर्ड	पटना

(स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा संकलित आँकड़े)

परिशिष्ट–4.5

(संदर्भः कंडिका 4.16)

30/09/2020 को सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र के बकाए लेखे, बिहार सरकार

क्रम सं0	सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र का नाम	अवधि जिसके लिए लेखे बकाया हैं	बकाए लेखाओं की संख्या
अ.	**कार्यशील कम्पनियाँ**		
5 वर्ष से कम			
1	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2018–19 से 2019–20	2
2	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड	2018–19 से 2019–20	2
3	बिहार स्टेट पावर ट्राँसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2019–20	1
4	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2018–19 से 2019–20	2
5	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2019–20	1
6	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2019–20	1
7	बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018–19 से 2019–20	2
8	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2017–18 से 2019–20	3
9	पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन	2019–20	1
10	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2017–18 से 2019–20	3
11	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2018–19 से 2019–20	2
12	बिहार राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड	2017–18 से 2019–20	3
13	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2018–19 से 2019–20	2
14	बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड	2019–20	1
15	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2018–19 से 2019–20	2
16	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2019–20	1
17	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016–17 से 2019–20	4
18	पीरपैंती बिजली कंपनी प्राइवेट लिमिलेट	2017–18 से 2019–20	3
19	लखीसराय बिजली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	2017–18 से 2019–20	3
20	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	2019–20	1
21	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019–20	1
22	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018–19 से 2019–20	2
23	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड	2019–20	1
24	बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड	2017–18 से 2019–20	3
	योग		**47**
5 से 10 वर्ष			
1	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2012–13 से 2019–20	8
2	बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	2013–14 से 2019–20	7
3	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	2014–15 से 2019–20	6
4	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015–16 से 2019–20	5
5	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2015–16 से 2019–20	5
6	बिहार राज्य साख एवं विनिवेश निगम लिमिटेड	2015–16 से 2019–20	5
	योग		**36**
10 वर्ष से अधिक			
1	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2005–06 से 2019–20	15

क्रम सं0	सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र का नाम	अवधि जिसके लिए लेखे बकाया हैं	बकाए लेखाओं की संख्या
2	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2003–04 से 2019–20	17
3	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1998–99 से 2019–20	22
योग			**54**
योग (अ)			**137**
ब. सांविधिक निगम (कार्यशील)			
5 वर्ष से कम			
1	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2019–20	1
योग			1
5 से 10 वर्ष			
1	बिहार राज्य भंडारण निगम	2015–16 से 2019–20	5
2	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2015–16 से 2019–20	5
योग (ब)			**11**
स. अकार्यशील कंपनियां (समापन की प्रक्रिया से अलग)			
5 वर्ष से कम			
1	बिहार राज्य एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2019–20	**1**
योग			**1**
5 से 10 वर्ष			
1	बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	2015–16 से 2019–20	5
2	स्काडा एग्रो बिजनेस निगम लिमिटेड	2015–16 से 2019–20	5
योग			**10**
10 वर्ष से अधिक			
1	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1986–87 से 2019–20	34
2	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	1977–78 से 2019–20	43
3	बिहार कीटनाशक लिमिटेड	1987–88 से 2019–20	33
4	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1988–89 से 2019–20	32
5	बिहार मक्का उत्पाद लिमिटेड	1984–85 से 2019–20	36
6	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाइल्स एंड सेरामिक्स लिमिटेड	1986–87 से 2019–20	34
7	विश्वामित्र कागज उद्योग लिमिटेड	1985–86 से 2019–20	35
8	बिहार ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	1986–87 से 2019–20	34
9	झंझारपुर कागज उद्योग लिमिटेड	1986–87 से 2019–20	34
10	सिंथेटिक रेजिन (पूर्वी) लिमिटेड	1984–85 से 2019–20	36
11	बेलट्रॉन वीडियो सिस्टम लिमिटेड	1990–91 से 2019–20	30
12	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड	1991–92 से 2019–20	29
13	भवानी एक्टिव कार्बन लिमिटेड	1986–87 से 2019–20	34
14	मगध मिनरल्स लिमिटेड	1984–85 से 2019–20	36
15	बेलट्रॉन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड	1988–89 से 2019–20	32
16	बिहार स्टेट टैनिन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	1989–90 से 2019–20	31
17	बिहार स्टेट सॉल्वेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड	1987–88 से 2019–20	33
18	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	2003–04 से 2019–20	17
19	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	1983–84 से 2019–20	37
20	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1985–86 से 2019–20	35
21	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	1985–86 से 2019–20	35
22	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1979–80 से 2019–20	41

क्रम सं0	सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र का नाम	अवधि जिसके लिए लेखे बकाया हैं	बकाए लेखाओं की संख्या
23	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	1981–82 से 2019–20	39
24	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1984–85 से 2019–20	36
25	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड	1986–87 से 2019–20	34
26	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी, डेहरी लिमिटेड	1993–94 से 2019–20	27
27	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी, औरंगाबाद लिमिटेड	1993–94 से 2019–20	27
28	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी, मोहनिया लिमिटेड	1993–94 से 2019–20	27
29	स्काडा एग्रो वानिकी कंपनी खगौल लिमिटेड	1993–94 से 2019–20	27
30	बिहार राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड	1998–99 से 2019–20	22
31	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1993–94 से 2019–20	27
32	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2001–02 से 2019–20	19
33	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2001–02 से 2019–20	19
34	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2009–10 से 2019–20	11
योग			**1056**
कुल योग (स)			**1067**
महायोग (अ+ब+स)			**1215**

अकार्यशील कंपनियाँ जो परिसमापन के अधीन हैं			
क्रम सं0	**सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र का नाम**	**स्थिति**	
1	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत	
2	बिहार फिनिश्ड लेदर लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत	
3	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत	
4	कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत	
5	बिहार राज्य चमड़ा उद्योग विकास निगम लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत	

(स्रोतः वित्त लेखे 2019–20 और लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा संकलित आँकड़ें)

परिशिष्ट–4.6

(संदर्भः कंडिका 4.16; पृष्ठ 99)

उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को वित्तीय सहायता जिनके लेखे 2019–20 तक बकाया हैं

(₹ करोड में)

क्रम सं0	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा इक्विटी, ऋण, सब्सिडी और प्रत्याभूति जिनके लेखे बकाया हैं							
		इक्विटी	ऋण	प्रत्याभूतियाँ	पूंजी अनुदान	सब्सिडी	कुल	वर्ष जबसे लेखे बकाया हैं	बकाये लेखों की संख्या
अ. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ									
1.	बिहार राज्य शैक्षणिक वित्तीय निगम लिमिटेड	0.00	598.00	0.00	5.00	0.00	603.00	2019-20	1
2.	पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	113.60	2018-19	2
3.	बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	110.00	0.00	110.05	2018-19	2
4.	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	2017-18	3
5.	बिहार राज्य खनन निगम	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2017-18	3
6.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	2.45	2017-18	3
7.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	5.23	0.00	5.23	2015-16	5
8.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	2015-16	5
9.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	120.91	7.00	1.13	165.00	0.00	294.04	2014-15	6
10.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	0.00	2.28	0.00	105.39	8.66	116.33	2005-06	15
11.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	0.00	1,114.81	1,861.33	0.00	6,283.07	9,259.21	2003-04	17
12.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	20.74	7.49	15.39	0.00	0.00	43.62	1998-99	22
13.	बिहार राज्य जल विद्युत पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	40.26	243.34	0.00	0.00	283.60	2013-14	7
14	बिहार राज्य पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.00	0.00	964.03	0.00	0.00	964.03	2018-19	2
15	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	0.00	0.00	2,381.52	0.00	0.00	2,381.52	2019-20	1
16	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	0.00	0.00	2,198.42	0.00	0.00	2,198.42	2019-20	1
योग अ		**285.25**	**1,769.84**	**7,665.16**	**393.07**	**6,291.73**	**16,405.05**		**95**
ब. कार्यशील सांविधिक निगम									
1.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	0.00	318.24	0.00	157.03	899.81	1,375.08	2015-16	5
2	बिहार राज्य भंडारण निगम लिमिटेड	0.00	0.00	149.11	0.00	0.00	149.11	2015-16	5
योग ब		**0.00**	**318.24**	**149.11**	**157.03**	**899.81**	**1,524.19**		**10**

क्रम सं0	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा इक्विटी, ऋण, सब्सिडी और प्रत्याभूति जिनके लेखे बकाया हैं							
		इक्विटी	ऋण	प्रत्याभूतियाँ	पूंजी अनुदान	सब्सिडी	कुल	वर्ष जबसे लेखे बकाया हैं	बकाये लेखों की संख्या
स. अकार्यशील सरकारी कंपनियाँ									
1.	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2015-16	5
2.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2009-10	11
3.	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	2.28	2003-04	17
4.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	0.00		0.00	11.00	0.00	11.00	2001-02	19
5.	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	3.12	2001-02	19
6.	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1.25	5.63	0.00	0.26	0.00	7.14	1993-94	27
7.	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	0.00	2.21	0.00	0.00	0.08	2.29	1992-93	28
8.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	0.00	1.66	0.00	0.00	2.47	4.13	1991-92	29
9.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	5.80	2.74	0.00	0.00	0.00	8.54	1988-89	32
10.	बिहार स्टेट फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।	12.92	6.30	0.00	0.00	0.00	19.22	1986-87	34
11.	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	11.21	365.32	0.00	0.00	197.93	574.46	1985-86	35
12	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	3.72	0.25	0.00	0.00	0.48	4.45	1984-85	36
13.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5.22	18.78	0.00	0.00	55.41	79.41	1983-84	37
14.	बिहार राज्य चमड़ा उद्योग विकास निगम लिमिटेड	12.26	43.18	0.00	0.00	0.00	55.44	1983-84	37
15.	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	5.00	154.33	0.00	0.00	0.00	159.33	1979-80	41
16.	बिहार स्कूटर लिमिटेड	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	6.09	1977-78	43
	योग (स)	**57.38**	**617.89**	**0.00**	**11.26**	**256.37**	**942.90**		**450**
	योग (अ+ब+स)	**342.63**	**2,705.97**	**7,814.27**	**561.36**	**7,447.91**	**18,872.14**		**555**

(स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा संकलित आँकड़े)

परिशिष्ट–4.7

(संदर्भः कंडिका 4.16)

घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विभाग का नाम	निवल मूल्य (–)
1	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	54.74
2	बिहार राज्य साख एवं विनिवेश निगम लिमिटेड	152.66
3	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	0.77
4	बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	74.76
5	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	110.36
6	बिहार राज्य वित्तीय निगम	434.01
7	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	1523.59
8	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	0.17
9	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड	1.73
10	बिहार राज्य डेयरी निगम लिमिटेड	3.85
11	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	173.19
12	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	5.91
13	बिहार कीटनाशक लिमिटेड	0.46
14	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	9.38
15	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	119.74
16	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	20.51
17	कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड	5.99
18	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	62.34
19	बिहार स्टेट ग्लेज्ड टाइल्स एंड सेरामिक्स लिमिटेड	0.35
20	बिहार राज्य फिनिश्ड लेदर निगम लिमिटेड	0.66

(स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा संकलित आँकड़े)